बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि १० अप्रील १९५६ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

लोक-सेवा आयोग की सिफारिश।

२२५। श्री सरयू प्रसाद—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा सूचित किये जाने पर लोक-सेवा आयोग ने १९५५ ई० में यह विज्ञप्ति निकाली थी कि प्रतियोगिता परीक्षा के फल के आधार पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट औफ पुलिस के दो रिक्त स्थानों की पूर्त्ति की जायगी;

(२) क्या यह बात सही है कि प्रतियोगिता परीक्षा के फल के बाद लोक-सेवा आयोग ने उपरोक्त दोनों स्थानों की पूर्त्ति के लिये नामों की सिफारिश की;

(३) क्या यह बात सही है कि लोक-सेवा आयोग की सिफारिश के बावजूद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के उन दोनों स्थानों में से किसी की पूर्त्ति नहीं की गई है;

(४) लोक-सेवा आयोग की सिफारिश को मान्यता प्रदान न करने का क्या कारण है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(१), (२), (३) तथा (४) कम्बाइन्ड कम्पेटीटिव एक्जामिनेशन जो जनवरी, १९५५ में हुआ था उसके नतीजे के आधार पर दो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जगहें भरी जाने वाली थीं और उसके बाद यह संख्या बढ़ा कर पांच कर दी गई है और उसमें एक शेड्यूल्ड कास्ट्स कंडिडेट को दी जाने वाली थी। कमीशन ने केवल चार नामों की सिफारिश की है चूंकि शेड्यूल्ड कास्ट्स का कोई कंडिडेट प्राप्त नहीं हो सका। पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश के अनुसार ४ वकेन्सीज के भरने के सवाल पर सरकार विचार कर रही है। ऐसी आशा की जाती है कि सरकार बहुत जल्द फैसला करेगी।

श्री सरयू प्रसाद—पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास कब पहुंची?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—पब्लिक सर्विस कमीशन की चिट्ठी कब आई उसका कागज अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन हमने जवाब दिया है कि चार नाम पब्लिक सर्विस कमीशन ने भेजा था और उसके अनुसार बहुत जल्द बहाली होने वाली है।

श्री सरयू प्रसाद—पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा जो जनवरी में हुई थी उसका नतीजा कब निकला था?

बिहार विधान परिषद् से आया हुआ संदेश

Messages received from the Bihar Legislative Council.

सभा सचिव—महोदय, मैं बिहार विधान परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा स्वीकृत सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, बिहार अमेंडमेंट बिल, १९५६, को एक प्रति सभा के समक्ष रखता हूं।

विधान कार्य : सरकारी विधान।

Legislative Business : Official Bill :

बिहार पंचायत राज (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ (१९५५ को वि० सं० ४१)।

THE BIHAR PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) BILL, 1955 (BILL NO. 41 OF 1955).

*श्री रामनरेश सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल आपसे बता रहा था कि ————————

गया के कलक्टर ने किस प्रकार मुखिया को जवाब दिया और किस तरह अपने पत्र में उनके साथ व्यवहार करते हैं। कल मैंने कलक्टर के द्वारा जो मुखिया को पत्र गया था उसके बारे में आपको बता दिया था और उसको पढ़ दिया था। उसके बाद मुखिया ने जो पत्र कलक्टर को भेजा और फिर अशिष्टता के साथ कलक्टर ने जो व्यवहार किया उसको मैं आज बता देना चाहता हूं।

पत्र संख्या ६

पो० बेलाढ़ी,
गया।
२० फरवरी, १९५६।

जिलाधीश, गया।

महाशय, आपकी सेवा में मैंने ग्राम पंचायत राज्य, बेलाढ़ी, गया, की ओर से दो पत्र एक प्रस्ताव के साथ ग्राम कचहरी बनाने के विषय में भेजा। किन्तु अत्यंत ही खेद तथा अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि आजतक उन दोनों पत्रों का किसी तरह का कोई पत्रोत्तर मुझे नहीं प्राप्त हुआ कि आपने उस पर कौन-सा आदेश दिया है।

अगर सरकार के उच्चाधिकारियों का इसी प्रकार का सहयोग और व्यवहार होगा, तो ग्राम पंचायतों द्वारा गांव के नवनिर्माण का जो पुनीत कार्य हो रहा है, उसका भविष्य उज्ज्वल होने के बजाय अंधकारमय हो जायगा। जिलाधीश होने के कारण ग्राम पंचायतों को आपका सहयोग तथा निर्देश प्राप्त करना अनिवार्य है।

क्या मैं आशा करूं कि भविष्य में इस तरह की उपेक्षा के बजाय आपका समुचित रूप से सहयोग प्राप्त होगा?

पत्रोत्तर की प्रतीक्षा।

भवदीय,
पारसनाथ वर्मा,
उप-मुखिया, ग्राम पंचायत राज्य,
बेलाढ़ी, गया।

आप समझ सकते हैं कि इस पत्र में कौन-सी ऐसी बात है जिसे आप अशिष्ट कह सकते हैं और जिसको पारसनाथ वर्मा ने इस्तेमाल किया है। पंचायत अधिकारी ने जो पत्र लिखा है उसको भी आपके सामने रख दिया कि वह कैसा अशिष्टतापूर्ण है। ऐसी हालत में अगर आप इन अधिकारियों को मुखिया को हटाने का अधिकार देंगे तो और न मालूम क्या होगा। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि उच्च अधिकारियों को ग्राम पंचायत के साथ सहयोग करना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वे मुखिया के साथ किस तरह से पेश आते हैं और अशिष्टतापूर्ण व्यवहार करते हैं। ऐसी हालत में आप मुखिया को निकालने और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार देने जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री नेहरू ने कहा था कि अफसरों को जनता से मिलकर काम करना चाहिए और उनकी दिक्कतों को समझ कर उनकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए और जनता का सेवक अपने को समझना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ वे तो अपने को जनता का मालिक समझते हैं और जनता द्वारा चुने हुए मुखिया के साथ उनका इस तरह का व्यवहार होता है। अब आप उनको निकालने और मुकदमा चलाने का अधिकार देने जा रहे हैं और मेरे जानते इस अधिकार का दुरुपयोग ही होगा। इसलिए मैं इस चीज का विरोध करता हूं कि जनता द्वारा चुने हुए मुखिया को निकालने का अधिकार किसी भी सरकारी अधिकारी को मिले। जिस जनता ने उसको चुना है उसी को निकालने का अधिकार रहना चाहिए और जब ऐसा होगा तभी प्रजातंत्र फले-फूलेगा। अगर गांव के लोग देखें कि मुखिया ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है या ठीक तरह से न्याय नहीं होने दे रहा है तो जनता उसको निकाल दे सकती है। इसके लिए कानून में नियम भी दिया हुआ है। लेकिन किसी औफिसर को हटाने का अधिकार कभी भी नहीं देना चाहिए। किस तरह से औफिसर लोग काम करते हैं उसके बारे में कल भी कहा था और आज भी कह देना चाहता हूं।

अध्यक्ष—दुहराने की जरूरत नहीं है।

श्री राम नरेश सिंह—आज मेरे पास अनेकों उदाहरण हैं कि अधिकारी लोग किस तरह से मुखिया से काम लेते हैं। अंचल अधिकारी या उसके और औफिसर लोग मुखिया को हरेक हफ्ते में अपनी कचहरी में बुलाते हैं और ग्रामसेवक को तो करीब-करीब रोज ही बुलाते हैं और चौकीदार की भांति मुखिया और ग्रामसेवक का जीवन हो गया है। अगर मुखिया उनके यहां हाजिरी न दे तो उनकी मर्जी के खिलाफ यह काम हो जायगा और उसको निकाल दिया जाय यह कहां तक ठीक होगा। इसके अलावे अगर कोई औफिसर दिहात में चला गया तो उनके खाने-पीने और आराम का इंतजाम करना भी मुखिया का काम हो गया है और इसमें कमी हुई तो मुखिया निकाल दिया जाय, यह कहां तक जायज होगा। अब इस तरह के अधिकारियों को मुखिया को निकालने का अधिकार दिया जा रहा है और जब यह अधिकार मिल जायगा तो मुखिया का गला ही रेता जायगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। किसी तरह से मुखिया को निकालने का अधिकार किसी अधिकारी को न मिलना चाहिए नहीं तो पंचायत राज्य कानून का मकसद ही खत्म हो जायगा और भावी समाज की रचना और प्रजातंत्रात्मक ढंग से शासन न चल सकेगा। इसलिए उनको अधिकार देने की धारा इस बिल में न रहनी चाहिए।

इसके बाद १४ आदमियों में से सरकार ५ आदमियों को चुनने का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। मैं सरकार से इस संबंध में यह पूछना चाहता हूं कि इन ५ आदमियों में से वह किस तरह के आदमियों को रखेगी।

अध्यक्ष—इसको तो माननीय मंत्री ने बतला दिया है।

श्री राम नरेश सिंह—अच्छी बात है। दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि मुखिया के चुनाव में अभी गांवों में मारपीट हो जाती है।

अध्यक्ष—यहां पर इसको कहना असंगत है। यहां पर आप किस धारा पर बोल रहे हैं?

श्री राम नरेश सिंह—इस बिल में उपमुखिया के चुनाव का जिक्र है। उपमुखिया के चुनाव का इंतजाम बेकार रखा गया है और इससे कोई खास फायदा नहीं होगा।

अध्यक्ष—उपमुखिया का तो आम चुनाव नहीं होता है, एक्जिक्यूटिव कमिटी (कार्यकारिणी समिति) के लोग ही अपने में मुखिया चुनते हैं।

श्री राम नरेश सिंह—मैं चाहता हूं कि मुखिया का चुनाव जनता करे। इसी तरह से उपमुखिया का भी चुनाव जनता के द्वारा ही होना चाहिए हालांकि उपमुखिया को रखने से कोई फायदा नहीं होगा।

इसके अलावे इस बिल में इसके लिए एक धारा रहनी चाहिए कि अगर गांव में किसी तरह का भ्रष्टाचार या करप्शन हो तो मुखिया का यह काम होना चाहिए कि वह उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे।

अध्यक्ष—आप किस धारा पर अभी बोल रहे हैं? पेज न० और धारा बतलाइए।

श्री राम नरेश सिंह—मैं यह कह रहा हूं कि गांव के अंदर अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार या गड़बड़ी हो तो मुखिया का यह काम होना चाहिए कि वह उसका सुधार करे और इसकी खबर अपने ऊपर के आदमियों को दे। इसके लिए इस बिल में एक धारा होनी चाहिए।

इसके बाद पंचायत की आर्थिक स्थिति का सुधार करने के लिए टैक्स लगाने का अधिकार होना चाहिए। अभी कुछ टैक्स लगाने का अधिकार है लेकिन हमारा सुझाव यह है कि गल्ले की बिक्री पर या कहीं से कोई दूकानदार कोई चीज वहां पर बेचने के लिए ले जाय तो पंचायत को उस पर भी किसी तरह का टैक्स लगाने के लिए अधिकार होना चाहिए।

अध्यक्ष—आप किस संशोधन पर बोल रहे हैं?

श्री राम नरेश सिंह—मैं सुझाव दे रहा हूं कि ऐसी एक उपधारा इसमें जोड़ दी जाय।

अध्यक्ष—जब किसी संशोधन पर आप नहीं बोल रहे हैं तो इस बात की चर्चा नहीं होना चाहिए। आप बहुत बोल चुके, कल २० मिनट तक बोले और आज भी १० मिनट से बोल रहे हैं। अब आप खत्म कीजिए।

श्री राम नरेश सिंह—अंत में अब मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इस कानून को एक क्रान्तिकारी कानून बनाना चाहती है तो इसकी धाराओं में काफी सुधार होनी चाहिए जिससे सरकार का जो जनकल्याण का मकसद है वह पूरा हो जाय और किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। इतना ही कहकर अब मैं बैठ जाता हूं।

*श्री हृदय नारायण चौधरी—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात अभी हाउस के सामने इस बिल के संबंध में रखी गई है उसको मैं दुहराना नहीं चाहता हूं। मैं कम-से-कम समय में अपनी सारी बातें हाउस के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस बिल में किया गया है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और गांव की दृष्टि से इसका स्थान बहुत ही ऊंचा है। अभी तक जितने कानून सरकार ने इसके संबंध में बनाए हैं उन सबसे यह अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस कानून में कोई पोलिटिकल चीज नहीं है जिसके जरिए गांव के लोग अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। इसमें है कि गांव की तरक्की किस तरह से होगी, गांव में नहर, नाला या पोखरा किस तरह से बनवाया जायगा, और किस तरह से परती जमीन का सुधार किया जायगा इत्यादि। यानी सारी ही बातें गांव की तरक्की के बारे में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जो सबसे महत्त्वपूर्ण बात है उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं और वह है दलबन्दी को कैसे कम किया जा सकता है। गांव में जितने लोग हैं वे सब एक-दूसरे से संबंधित हैं और वे सब एक ही जगह के रहने वाले हैं।

अध्यक्ष—जब चुनाव की बात है तो दलबन्दी तो जरूर ही होगी।

श्री हृदय नारायण चौधरी—ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि किस तरह से काम करने से कम-से-कम दलबंदी होगी। अभी तक इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है इसलिऐं मैं सरकार का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं और बताऊंगा कि किस तरह से दलबंदी कम होगी। चुनाव तो होगा बहुमत से ही, लेकिन इस प्रकार काम करने से दलबंदी कम होगी। वह सुझाव है फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास और थर्ड क्लास का ग्राम पंचायत का निर्माण करना। जो फर्स्ट क्लास के ग्राम पंचायत होंगे उनमें मुखिया का चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए और उस ग्राम पंचायत को सबसे ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए। गांव के जितने निर्माण या विकास के कार्य हैं वे सब काम भी उसके अधिकार में रहने चाहिए यानी उसको सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान करनी चाहिए। मर्डर, डकैती या जो सिरियस केस हो उसको छोड़कर सब केस के फैसले का अधिकार उसको देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस केस में वह निर्णय नहीं कर सकता है उसको छोड़कर सब केस उसको देना चाहिए। मैं इस बात

को नहीं मानता कि अदालत में मुन्सिफ या मजिस्ट्रेट सब ईमानदार ही होते हैं। हम तो समझते हैं कि गांव के लोग इन लोगों के बनिस्वत ज्यादा ईमानदार होते हैं, भले ही वे पढ़े-लिखे कम हैं उनको दुनिया की बातों की कम खबर रहती है, फिर भी वे ही लोग ज्यादा ईमानदार होते हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अपराधों का न्याय गांव के लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। अदालत में एक यह भी दिक्कत है कि मुकदमा लड़ने में रुपया-पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है और साथ ही साथ तबाही भी ज्यादा होती है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष—यह तो अमेन्डिंग बिल है, इन बातों के कहने से क्या फायदा?

श्री हृदय नारायण चौधरी—ठीक है, अमेंडिंग है, लेकिन श्री रामजनम महतो का जो प्रस्ताव लोकमत जानने के लिए है उसी का मैं सपोर्ट कर रहा हूं। आठ वर्ष से आप पंचायत का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ठिकाने से इसमें काम नहीं होता है। इसलिए इसकी खामियों को जानने के लिए लोकमत में परिचारित करने की जरूरत है। जब यह लोकमत जानने के लिए भेजा जायगा तो जितने मुखिया हैं वे सब अपनी राय इस पर देंगे और जब लोकमत संग्रह कर लिया जायगा तब उसके मुताबिक एक ऐसा अमेंडमेंट लाया जाय जिससे ग्राम पंचायतों का सुधार हो। मैं इसीलिए सरकार को यह सुझाव दे रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि गांवों में कम-से-कम दलबंदी कैसे होगी, यानी जहां पर अनिवार्य हो वहीं पर हो लेकिन अन्य जगह नहीं हो।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—आपको सरकार से दलबंदी कम-से-कम कैसे होगी, यह कहने से क्या फायदा होगा?

अध्यक्ष—इनके कहने का मतलब है कि सरकार इसके लिए कानून बनावे और कानून के जरिए इस दलबंदी को रोके।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—आपके कहने से यह मालूम होता है कि सरकार ही दलबंदी को रोक सकती है। आपको गांवों में सर्वोदय का प्रचार करना चाहिए और वहां जाकर यह लेक्चर देना चाहिए। सरकार को कहने से दलबंदी कैसे रुक सकती है।

श्री हृदय नारायण चौधरी—रुक नहीं सकती है तो कम तो हो सकती है। इसीलिए मैंने तीन क्लास के पंचायत का नाम लिया है। फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास का पंचायत वह होना चाहिए जिसमें मुखिया इत्यादि सर्वसम्मति से चुनाकर आये हों और उस पंचायत को सरकार का सबसे ज्यादा अधिकार देना चाहिए। जब दूसरा पंचायत यह समझेगा कि उस पंचायत में सर्वसम्मति से मुखिया इत्यादि चुनाकर आये हैं और उस पंचायत को सरकार ने सबसे ज्यादा अधिकार दिया है तो देखादेखी वह भी ऐसा ही करेगा और दलबंदी कम होगी। सेकेन्ड क्लास के पंचायत में ७५ प्रतिशत से अधिक वोट पर मुखिया का चुनाव होना चाहिए और थर्ड क्लास के पंचायत में ५० प्रतिशत से ज्यादे वोट पर मुखिया का चुनाव होना चाहिए। सरकार को इसके लिए यह रूल बना देना चाहिए कि जो जिस क्लास का

पंचायत होगा उसको उसी अनुपात में अधिकार या विकास के कार्य सौंपे जायंगे। ऐसा करने से दलबंदी कम हो जायगी। बहुत-सी ऐसी संस्थाएँ हैं जिनमें एक आदमी की भी असहमति प्रकट हो जाने से उनका चुनाव नहीं होता है......

श्री देवकी नन्दन झा—मेरी नियमापत्ति है। माननीय सदस्य ने जो अपना आरगुमेंट अभी हाउस में पेश किया है वह प्रजातंत्र के बिल्कुल बाहर की बात है और बुनियादी नहीं है। जैसे इन्होंने कहा है कि फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास और थर्ड क्लास का पंचायत होना चाहिए।

अध्यक्ष—यह नियमापत्ति नहीं है। इसी तरह का वर्गीकरण किसी राज्य में है जो मुझे अभी याद नहीं है।

श्री हृदय नारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्य श्री देवकी नन्दन झा डेमोक्रैसी की परिभाषा को भूल गए हैं। आपने जो कहा है वह परिभाषा २० वर्ष पहले की है और वह अब बदल गई है। आज की परिभाषा है कि सर्वसम्मति की पूरी राय नहीं भी हो तो भी माइनॉरिटी की पूरी कद्र होनी चाहिए, पूरी इज्जत होनी चाहिए। यह एक नई चीज दुनिया में आई है, इसमें परिवर्त्तन होना चाहिए। अभी मैंने बताया है कि बड़ी-से-बड़ी संस्था में भी जब तक सर्वसम्मति न हो तब तक वह स्वीकृत नहीं हो सकती है। सारे हिन्दुस्तान में जितनी भी संस्थाएँ हैं वहां माइनॉरिटी का रूल चलता है, गांव में दलबंदी को काम करने की कोशिश इस तरह से करें कि तीन प्रगतिशील संस्था बनावें जिनमें सर्वसम्मति हो और बहुमत हो। इन तीनों संस्थाओं को भिन्न-भिन्न तरह की शक्ति दें। पहले भी मैंने कहा था कि शासन का निर्माण अमृत के ऐसा होना चाहिए। जिस तरह पीरामिड का आधार बहुत बड़ा होता है और अंत में जाते-जाते बिल्कुल छोटा बन जाता है जिस तरह से मन्दिर होता है ठीक उसी तरह का रूप पंचायत का होना चाहिए। पंचायत बहुत महत्त्वपूर्ण चीज है इसको अधिक से अधिक अधिकार देना चाहिए। कानून ऐसा बनाया जाय जिससे लोगों को सहूलियत हो। ग्राम पंचायत के द्वारा गांव की क्या आवश्यकता है इसका ठीक पता चल सकता है। जैसा यमुना बाबू ने कहा था प्लानिंग फ्रोम बिलो होना चाहिए, मैं भी इसे मानता हूं कि यह सही है। कहां कुआं बनना चाहिए, किस जमीन में क्या उपजाना चाहिए, ऊख कहां बोना चाहिए, धान कहां बोना चाहिए, गेहूं कहां बोना चाहिए इत्यादि का पता गांववालों से ही लग सकता है। आज की हालत यह है कि गांव के ठीकेदार, अपने फायदे के मुताबिक योजना तैयार करते हैं और कर्मचारियों के यहां पैरवी करके मंजूर कराते हैं, और योजना मंजूर भी हो जाती है और उससे गांववालों को फायदा नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों में पंचायत का पूरा अधिकार होना चाहिए। इन चीजों को गांववाले सर्वसम्मति से बनावें। हां जो बड़ी-बड़ी चीजें हैं जैसे सड़क कहां पर बने, रेलवे लाइन कहां पर बने, नदी को कहां बांधा जाय ये सब चीजें पंचायत के बाहर की हैं यह दिल्ली से हो या पटना से हो। आज क्या हो रहा है? आज रिलीफ बांटते हैं, कर्ज बांटते हैं, वह सब अंचलाधिकारी के द्वारा होता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा नियम बनावें कि ग्राम पंचायत के निर्णय के मुताबिक ही लोगों को कर्ज मिले, कर्ज की वसूली हो; गांव में किसी का मकान बरसात में गिर गया है उसके रिलीफ के लिए ग्राम पंचायत ही सिफारिश करे। इस तरह के

जितने भी गांव के काम हैं सभी के लिए ग्राम पंचायत को ही अधिकार देना चाहिए, लेकिन देखता हूं कि इस बात का जिक्र भी इस बिल में नहीं है। गांवों में आर्थिक विषमता है, किसी के पास जमीन है किसी के पास जमीन नहीं है जिसको जमीन नहीं है उसके लिए जमीन किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, मजदूरी लोगों को किस ढंग से मिले इन सब चीजों के लिए ग्राम पंचायत को सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होना चाहिए। यह संस्था बहुत बड़ी है और इसमें पवित्रता है।

अध्यक्ष—विधेयक के संशोधन से और पवित्रता से क्या संबंध है? संशोधन है कि इसे लोकमत के लिए भेजा जाय।

श्री हृदय नारायण चौधरी—इसे लोकमत के लिए भेजा जाय और जो संशोधन हैं वे और यदि कुछ नये संशोधन हों तो उन्हें भी लाया जाय।

अध्यक्ष—जो इस विधेयक के क्षेत्र के बाहर है उसे मैं नहीं मानता हूं।

श्री हृदय नारायण चौधरी—आपकी रूलिंग मैं सर पर रखता हूं लेकिन मेरा ख्याल है कि जनता को सबसे ज्यादा अधिकार है क्योंकि वह निरपेक्ष है। अध्यक्ष महोदय, जो बिल अभी मेरे सामने पेश है मैं उसे साधारण नहीं मानता हूं। इसके पास करने में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण सिंह ने कहा है कि इसे जल्दी पास करना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जल्दी का काम शैतान का है इसे सोच-समझ कर पास करना चाहिए।

अध्यक्ष—ऐसी बात नहीं है। आप अपनी ओर बहुत खींच रहे हैं। पंचायत राज्य (अमेंडमेंट) बिल मौजूद है। जो पंचायत राज्य ऐक्ट है उसके चलाने में दिक्कतें हो रही हैं। उसके लिए तो जल्दी करना ही चाहिए नहीं तो चलेगा कैसे-कैसे आप कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का है। मैं जल्दी करने को नहीं कहता हूं। लेकिन जो दिक्कत आ गई है उसे हटाने के लिए तो शीघ्रता करनी ही है।

श्री रामचन्द्र प्रसाद यादव—मेरी एक नियमापत्ति है, अध्यक्ष महोदय। अभी माननीय वक्ता ने कहा कि लक्ष्मी नारायण सिंह ने कहा है कि इस बिल को पास करने में जल्दी करना चाहिए और जल्दी का काम शैतान का होता है तो मैं समझता हूं कि यह एक माननीय सदस्य के ऊपर आक्षेप है।

अध्यक्ष—आक्षेप के मतलब से नहीं कहा गया है। जल्दी करना बुरा है इस मतलब से उन्होंने कहा है।

श्री हृदय नारायण चौधरी—हुजूर, आप बहुत स्थिर और धीरज के साथ चल रहे हैं, यह सही है लेकिन मैं जल्दी करने को नहीं कहता हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को पंचायत चलाने का अनुभव है ऐसे लोगों से सरकार ने राय ली है? बिहार राज्य में जो मुखिया है, जो सरपंच है जिनको ग्राम पंचायत

चलाने का कुछ अनुभव हो गया है या सरकार के जो चीफ औफिसर्स हैं क्या उनसे सरकार ने राय मांगी है? मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, लोकमत जानने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत-सी संस्थाएँ बनी हुई हैं, पंचायत परिषदें हैं, पंचायत कमिटियां हैं। मैं समझता हूं कि तीन महीने के अंदर सरकार अगर चाहे तो उनसे राय मंगा सकती है और इसके बाद जब सुझाव आ जाय तब तरमीम पेश की जाय तो जल्दी काम हो सकता है।

अध्यक्ष—आप ही की राय से काम चल जायगा।

श्री हृदय नारायण चौधरी—ठीक है, लेकिन हमलोगों को पंचायत चलाने का अनुभव है इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि पंचायत को खरहा की गति से नहीं बल्कि कछुआ की गति से चलना चाहिए। आज गांव की क्या हालत हो रही है हुजूर को अनुभव होगा और सभी सदस्यों को अनुभव होगा कि उन जगहों में जहां दलबंदी नहीं थी अब वहां भी दलबंदी हो गई है। इसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में पंचायत इस ढंग से बनाना चाहिए कि गांव में जो संस्थाएँ हैं उनमें मतभेद नहीं रहे।

अध्यक्ष—मुझे ऐसा मालूम होता है कि आपके दृष्टिकोण को सामने रखकर यह खंड ३ बनाया गया है कि दलबंदी होने लगे तो पंचायत को तोड़ दिया जाय। आप जो चाहते हैं वह तो यहां है ही इसलिए इतने लम्बे भाषण की क्या जरूरत है?

श्री हृदय नारायण चौधरी—हुजूर, इसका परिणाम यह होगा कि पंचायत तोड़ देना होगा। लेकिन पंचायत तोड़ने की नौबत नहीं आये मैं यह चाहता हूं।

दूसरी बात मैं धाराओं के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि एक जगह धारा में है कि बीस आदमियों की कमिटी बनेगी। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि बीस आदमियों की कमिटी अनमैनेजेबुल हो जायगी। कमिटी ऐसी होनी चाहिए जो मैनेजेबुल हो इसलिए २० आदमियों के बदले ११ आदमियों की कमिटी को रखना अच्छा होगा। "इसके बाद पंचायत जो गांवों की निर्माण हुई है कि किस ढंग से पंचायत बने उसमें भी इन सब बातों का ख्याल नहीं किया गया है।" पंचायत उन गांवों की होनी चाहिए जिनमें लोगों का आना-जाना, लेन-देन, आपस में प्रेम और मुहब्बत हो। लेकिन अगर इस तरह से पंचायत बनायी जाय कि किसी का सिर मिला दिया जाय और किसी का पैर और भिन्न-भिन्न विचार रखने वालों को एक साथ मिला दिया जाय तो मेरा ख्याल है कि यह उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल में लोगों से पूछकर पंचायत का निर्माण होना चाहिए कि कौन-कौन गांव, कौन-कौन टोली किस पंचायत में मिलें ताकि एक विचारधारा से पंचायत चले।

अध्यक्ष—इसके लिए भी खंड २ में दिया हुआ है। तो फिर आप जनमत में इसे क्यों ले जाना चाहते हैं?

श्री हृदय नारायण चौधरी—हुजूर, मैंने पहले भी कहा है कि चीफ ऑफिसर या ग्राम सेवकों से राय नहीं मांगी गई है और पंचायत परिषद् से भी राय नहीं मांगी गई है बल्कि केवल सरकारी ऑफिसर से राय मांगी गई है जिनको कोई अनुभव नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता और मैं चाहता हूं कि लोगों की राय ले करके आगे विचार किया जाय।

*श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, जो पंचायत राज्य बिल, १९५५ पेश किया गया है और उसमें जो प्रस्ताव है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बिल में कुछ आपत्तिजनक धाराएं हैं और ऐसी धाराएं हैं कि अगर उन्हें मान लिया जाय तो जो पंचायत का उद्देश्य है उसके बहुत दुर्बल होने की संभावना है। बिल के सेक्शन २ के सब-सेक्शन (३) में कहा गया है कि—

"(3) The Government may, by notification in the Official Gazette alter the local limits of the jurisdiction of any Gram Panchayat by including therein, or excluding therefrom, any village or part of a village and also alter the name of such Gram Panchayat."

यानी गांव के अगल-बगल और भी गांव हों तो उन्हें एक ग्राम पंचायत में डाल दिया जाय या किसी टोला या गांव को निकाल दिया जाय। जिस गांव को जिस पंचायत में रहने में सुविधा हो उसे उस पंचायत में देना चाहिये इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन गांव का एक टोला या गांव का तीन हिस्सा एक पंचायत में रख दिया जाय और एक हिस्सा दूसरी पंचायत में डाल दिया जाय यह बात समझ में नहीं आती।

अध्यक्ष—इसका मानी यह है कि जहां जैसी जरूरत हो वैसा करना चाहिये। मान लीजिए कि कोई गांव है और बीच में बड़ा नाला है और छोटा सा कोई टोला है और उधर जो गांव है उस टोला वाले इधर के लोगों के साथ रह जायं ऐसी परिस्थिति हो और जनता भी इसके लिये राजी हो तो सरकार इसी के लिये अधिकार चाहती है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, आप जो कह रहे हैं इसमें तथ्य मालूम पड़ता है लेकिन बिल में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गांव में कुछ लोग प्रभावशाली होते हैं, बहुत से ऐसे टोले हैं जिनमें वे समझते हैं कि सिरदर्द हो जायगा, और उनके वोट से वे हार जा सकते हैं। ऐसे टोलों को हटाने की वे कोशिश करेंगे और वे हटा दिये जाते हैं और दूसरी पंचायत में मिला दिए जाते हैं तो लोगों को बहुत दिक्कत होगी।

अध्यक्ष—आप चाहते हैं कि जनता की इच्छा के अनुसार पंचायत बनायी जाय?

श्री कर्पूरी ठाकुर—जी हां, और जनता की पूरी सहमति से उनकी इच्छा के अनुसार हिस्सा जोड़ा जाय तो इस धारा को मानने में हमें आपत्ति नहीं होगी।

पुराने ऐक्ट की धाराएँ जिस रूप में हैं उन्हें मानने में गहरी आपत्ति हमें है। आगे चलकर सेक्शन ७ में देखते हैं कि—

The Executive Committee shall consist of twenty members (including the mukhiya) of whom five shall be appointed by the prescribed authority.

हमको इस बात से आश्चर्य मालूम होता है कि जब हम अपने देश में प्रजातन्त्र का विकास चाहते हैं और इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप में मानते हैं कि जनतन्त्र का विकास सर्वाधिक छोटी इकाई में ही संभव है। छोटी इकाई में हम जनतन्त्र चला सकते हैं, वहां हमें तरह तरह की सुविधा है और जहां सुविधा नहीं होगी वहां सुविधा हम पैदा कर सकते हैं। हम अपने अनुभव से देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, म्युनिसिपैलिटी में तथा लोकल बोर्ड में सरकार कुछ सदस्यों का नोमिनेशन करती है और ऐसे मेम्बर एलेक्टेड मेम्बरों की इच्छाओं को उथल पुथल कर देते हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत में सरकार ५ सदस्यों का नोमिनेशन करेगी। ये सदस्य ऐसे होते हैं जो निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ रहते हैं, उनके कामों में रोड़ा अटकाते हैं और ऐसी हालत में ग्राम पंचायत का काम जितना सुचारु रूप से चलना चाहिये उसमें बाधा उपस्थित हो सकती है। इसलिये हम कभी नहीं चाहेंगे कि सरकार को यह अधिकार हो कि ५ सदस्यों का नोमिनेशन करे। इसलिये इस धारा के इस अंश से हमारा विरोध है और हम चाहते हैं कि जब यह सेलेक्ट कमिटी में जाय तो इसे छोड़ दिया जाय।

उसी प्रकार हम देखते हैं कि सेक्शन १३ में खंड १० जोड़ा जा रहा है और हम समझते हैं कि इस बिल में जो सबसे अधिक आपत्ति की बात है वह यही है। हम देखते हैं कि :

"The mukhiya may also be removed by the Government on a recommendation of the prescribed authority for misconduct, incapacity, neglect of duty or for any other sufficient cause."

हम जानते हैं कि बहुत से ग्राम पंचायत जो काम कर रही हैं और वहां जो निर्वाचित अधिकारी हैं उनको जिस रूप में काम करना चाहिये वे नहीं कर पाये हैं, ऐसे लोगों को हटा देनी चाहिये, सजा देनी चाहिये इस पर दो मत नहीं हो सकते। अगर किसी के ऊपर मिसकंडक्ट का अभियोग है, नेगलेक्ट ऑफ डियुटी का अभियोग है तो उसे हटा देना चाहिये लेकिन सवाल यह है कि उसे कौन हटावे। अगर असेम्बली के सदस्यों के ऊपर नेगलेक्ट ऑफ डियुटी अथवा इनकैपेसिटी का अभियोग आवे तो क्या हम इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं कि सरकार हमें हटा दे। हम ५ वर्षों के बाद निर्वाचकों के यहां जायंगे और हमने ५ वर्षों के अन्दर अगर अयोग्यता का प्रदर्शन किया हो, अपने कर्त्तव्य की अवहेलना की हो, सच्चे आचरण के विरुद्ध काम किया हो तो जनता का विश्वास हम पर नहीं होगा तथा हमें मत नहीं मिलेगा और हम खतम हो जायंगे। उसी तरह से ग्राम पंचायत के मुखिया भी यदि नेगलेक्ट ऑफ डियुटी करते हैं या उनमें इनकैपेसिटी है तो मुखिया को हटाने का अधिकार ग्राम पंचायत को होना चाहिये। हम सरकार से यह पूछते हैं कि क्या वह सरकारी नौकरों की बहाली में नन-ऑफिशियल की दस्तन्दाजी बर्दाश्त करेगी? अगर सरकारी अफसर गलती करते हैं तो क्या सरकार इस बात को मानेगी कि सरकारी अफसरों को नन-ऑफिशियल तथा असेम्बली के सदस्य सजा दें? हम जानते हैं कि सरकार के कुछ विभागों में जैसे एग्रीकल्चर स्कूल में भर्ती के लिये सलेक्शन बोर्ड में नन-ऑफिशियल्स भी लिये जाते

थे लेकिन सरकार ने फैसला किया कि हम सरकारी बहोलियों में नन-ऑफिशियल का इन्टरफियरेंस नहीं चाहते हैं। तो फिर हम यह भी नहीं चाहते हैं कि जनता के निर्वाचित सदस्यों को हटाने का अधिकार सरकारी अधिकारियों को हो। हम इसको अप्रजातान्त्रिक मानते हैं और सरकार ने जो दावा रखा है कि प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी मुखिया को हटा सकती है उसका घोर विरोध करते हैं। अगर मुखिया गलती करता है तो सरकार अपने जिला ग्राम पंचायत अफसर तथा सबडिवीजनल सुपरभाइजर को वहां भेजे और ये वहां जाकर जनता से कहें कि मुखिया को हटा दो लेकिन हम यह नहीं पसन्द करेंगे कि सरकार के अधिकारी उसे हटा दें। आज जिस तरह से नौकरशाही चल रही है उसके बारे में बराबर कहते आये हैं कि नौकरशाही के बदले में हम प्रजातन्त्र चलाना चाहते हैं और उसकी आधारशिला ग्राम पंचायत को बनाना चाहते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि जिस छोटी इकाई में लोग अपने अधिकारी चुनते हैं, अपने आदमी को चुनते हैं उनको भी सरकार कहती है कि हमारी प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी हटा देगी, यह एक अन्याय है, अन्धेर है, जिसे मानने को हम कतई तैयार नहीं हैं।

इसलिये हमारा कहना है कि १३ धारा से खंड १० के सेक्शन २ को हटा दिया जाय।

उसी तरह से हम देखते हैं कि :

"Any member of the Executive Committee, other than the mukhiya, may be removed by such authority, in such manner and for such reasons, as may be prescribed."

यह भी दावा किया गया है कि एक्जीक्यूटिव कमिटी के सदस्यों को सरकार हटा सकती है और हम इसका भी विरोध उन्हीं कारणों से करते हैं जिन कारणों से खंड १० के सेक्शन २ का विरोध किया है। इसलिये हमारा कहना है कि जब यह सेलेक्ट कमिटी में जाय तो वह इसकी अहमियत पर विचार करे और इसमें आवश्यक परिवर्तन करे।

उसी तरह से हम देखते हैं कि पुराने सेक्शन १४ के बदले में सेक्शन १२ कर दिया गया है और उसमें कई खंड हैं। हम पुराने ऐक्ट में देखते हैं कि सेक्शन १४ में ग्राम पंचायतों को ८ कंपलसरी डियुटी और सेक्शन १५ में २८ सप्लीमेंटरी डियुटी थे। लेकिन अनुभव से हम देखते हैं कि ये तीनों डियुटी जो ग्राम पंचायतों को दिये गये थे वे महत्वपूर्ण हैं और उनमें से बहुत कम काम हो सके हैं। अधिकतर ग्राम पंचायत का यही काम रहा है कि मुकदमों का फैसला करे। कुछ छोटे-छोटे काम भी हुए हैं जैसे कुछ सड़कों का बनना तथा और दूसरे काम लेकिन मुख्य काम पंचायतों का मुकदमा फैसला करना ही रहा है। पुराने ऐक्ट में बहुत सी छोटी-छोटी बातें थीं लेकिन वे बहुत ही महत्वपूर्ण थीं और उन पर ध्यान देना चाहिये था जैसे गांवों की सफाई का काम। कितने गांव ऐसे हैं कि दो मील से ही दुर्गन्ध मालूम पड़ेगी। गांव में बहुत अधिक गन्दगी है लेकिन ग्राम पंचायत ने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया कि गांव के लोगों में सफाई की आदत कैसे डाली जाय। गांव में लोग जहां तहां पाखाना करते हैं लेकिन ट्रेन्च लैटरीन का इन्तजाम नहीं किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, १५ वर्ष पहले की बात है कि हमारे राहुल सांस्कृत्यायन अपने जापानी मित्र को यहां के गांवों का निरीक्षण कराना चाहते थे लेकिन उनके सामने यह बात आई कि आखिर हमारे जापानी मित्र पाखाना कहां गांव में करेंगे, गांव के लोग तो जहां तहां पाखाना करते

हैं लेकिन ग्राम पंचायत ट्रेन्च लैट्रीन की व्यवस्था जैसा कि महात्मा गांधी ने बताया था नहीं करती है । इस तरह की व्यवस्था करने की बात ऐक्ट में लिखी हुई है फिर भी इसकी ओर ग्राम पंचायत वालों का ध्यान नहीं जाता है । गांव में मेडिकल रिलीफ या सफाई के काम नहीं होते हैं । इसी में खंड (जी) में लिखा हुआ है :

"the reporting and removal of encroachment on public streets, public places and property vested in it."

अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत में अगर कोई काम करना चाहता है तो सरकारी अधिकारी उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं । अभी हाल की बात है दलसिंह सराय के बरौना गांव में एक गैरमजरुआ आम जमीन है । अभी तीन चार महीने हुए एक अमीर आदमी ने उसमें भूसाघर, झोपड़ी बना लिया । एक ग्राम पंचायत (जो गजेटेड है) के मुखिया ने बारबार लिखा, कि अमुक अमीर ने वहां पर भुसाघर बना दिया, कलक्टर साहब को मालूम हुआ, मुखिया लिख कर थक गया लेकिन कोई उसे हटा नहीं सका । असेम्बली में दो तीन प्रश्न भी पूछे गये लेकिन कोई कार्रवाई आप नहीं कर सके । मुखिया काम करना चाहता है लेकिन आप उसको करने नहीं देना चाहते हैं । आपके कर्मचारी उसमें बाधा डालते हैं ।

अध्यक्ष—यह कैसे संगत है । संशोधन के अनुसार तो ग्राम पंचायत को अधिकार दिया जा रहा है ।

श्री कर्पूरी ठाकुर—डियुटी तो और बढ़ाये जा रहे हैं । मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ । मैं इसका समर्थन करता हूँ लेकिन उसके साथ में यह चाहता हूँ कि अधिकार भी ग्राम पंचायत को व्यापक दिया जाय । ज्यादा तर समय मुकदमे के तसफीया में ग्राम पंचायत को लग जाता है । जो निर्माण का काम है उसे करने का समय उनको नहीं मिलता है । यह डियुटी ग्राम पंचायत को दी जा रही है कि अकाल से लड़ो, चोरों से लड़ो, डकैती से लड़ो ।

(अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि पहले से जो १९४८ का ग्राम पंचायत कानून है उसमें सेक्शन्स १४ और १५ के द्वारा क्रमशः कम्पल्सरी डियुटी और सप्लिमेंटरी डियुटी ग्राम पंचायतों के जिम्मे सुपुर्द किये गये हैं । हमने अनुभव से देखा है कि जहां मामले मुकदमे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत क्रियाशील है अधिकतर काम ग्राम पंचायत के जिम्मे मामले मुकदमे के रहते हैं और मुखिया, पंच, सरपंच उसकी फैसला करते हैं । जो निर्माण के काम उनके जिम्मे हैं, रचनात्मक कार्य जो हैं जो ग्रामीण जीवन के पुनर्गठन के काम हैं उन कामों की ओर ग्राम पंचायत उतना ध्यान नहीं दे पाती है । खुशी की बात है कि इस बिल के द्वारा ग्राम पंचायतों के अधिकार का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है लेकिन अधिकार का क्षेत्र बढ़ाना एक बात है और जो काम ग्राम पंचायत के जिम्मे सुपुर्द किये गये हैं उनका कार्यान्वियन दूसरी बात है । हम स्वायत्त-शासन के मंत्री महोदय से यह जानना चाहते कि वे कौन-सा उपाय करने जा रहे हैं, कौन-सा कदम उठाने जा रहे हैं जिसके द्वारा वे प्रमाणित कर सकें कि वे जो काम ग्राम पंचायतों के जिम्मे सुपुर्द करने जा रहे हैं उनकी कार्यान्विति हो सकेगी । हम तो ऐसा देखते

हैं कि सप्लिमेंटरी डियुटीज में कम-से-कम तीन मुख्य काम हैं। एक है रूरल इनडेटेडनेस को कम करना, गरीबी कम करना और तीसरा है एग्रिकल्चरल इम्पिलीमेंट्स की व्यवस्था करना। हम यह जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत ने कहां-कहां इन कामों को किया है, सोलह आने नहीं तो एक आना ही सही, प्रारम्भिक रूप में ही सही। प्राइमरी एडुकेशन का काम आपने ग्राम पंचायतों के जिम्मे सौंपा है उसमें कहां तक प्रगति हुई है? उसी तरह डियुटी लिस्ट में को-ऑपरेटिव फार्मिंग, ट्रेड फार्मिंग का काम भी है उसमें कहां तक ग्राम पंचायत प्रगति कर सकी है, किस ग्राम पंचायत ने आपके स्टेट में इन कामों को किया है? आपने कम्पलसरी और सप्लिमेंटरी डियुटीज जो इतने बड़े सब-क्लॉजेज में दिये हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कहां तक हुआ है इसे आप बतायें। ग्राम पंचायतों के द्वारा इन कामों की ओर किस हद तक ध्यान दिया गया है यह हम जानना चाहेंगे। हमें तो आश्चर्य होता है कि पुराना जो ऐक्ट है उसमें इस बात का जिक्र है कि ग्राम पंचायत अकाल से, चोरी से, डकैती से फाइट करेगी। कानून में लिख देना दूसरी बात है लेकिन उसे कार्यरूप में परिणत करना दूसरी बात है। ग्राम पंचायत के रहते फेमीन गांव में न हो, लोग भूखे और नंगे न रहें इसके लिये ग्राम पंचायत को योजना बनानी होगी, अर्थ की व्यवस्था करनी होगी। इन सारी बातों की ओर सरकार को ध्यान देना होगा, उसके लिये कुछ ट्रेन्ड परसोनेल की व्यवस्था करनी होगी। क्या आपने इन दिशाओं में कदम उठाया है?

ग्राम पंचायत में वालेंटियर कोर्स हैं इसलिये कि जहां तक हो सके चोरों और डकैतों का मुकाबला करें। लेकिन जहां उनको बन्दूक ने की बात आती है तो देरी होती है। पुलिस अफसर को और उसके कर्मचारी को घूस दीजिए, कलक्टर और एस० डी० ओ० के आफिस में घूस दीजिए तो वहां काम बनता है। उनलोगों को बन्दूक लेने के लिये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे यहां के एक मुखिया ने रिवाल्वर का लाइसेन्स लेने के लिये दरखास्त दिया लेकिन उसके दो वर्ष बीत गये, परन्तु उनको रिवाल्वर का लाइसेन्स नहीं मिला। आप मुखिया को पुलिस अफसर का अधिकार देने जा रहे हैं लेकिन वह एक रिवाल्वर का लाइसेन्स चाहता है तो उसको भी नहीं देते। इस दशा में चोरी-डकैती कैसे रोकी जा सकती है। आप योजना उनसे नहीं बनवा कर दिल्ली और पटना में तैयार करते हैं तो वे किस तरह उन योजनाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक नयी धारा जोड़ दी गयी है जो इस बिल के सेक्शन २२ में है और जो पुराने ऐक्ट के सेक्शन ३३ के बदले में दी गई है।

"To execute any work of embankment or irrigation or any work connected with rural development schemes."

यह बहुत अच्छी चीज है जो आप ग्राम पंचायत को दे रहे हैं। मैं नम्रतापूर्वक आपसे और माननीय मंत्री से पूछता हूं कि क्या इस बात की जानकारी आपको है कि आज जो ग्राम पंचायतों के जिम्मे कोशी और बूढ़ी गंडक जैसे बड़ी-बड़ी नदियों में इम्बैंकमेंट बनाने के काम दिये गये हैं उसे वे अच्छी तरह कर रहे हैं? इसकी तारीफ भी आप करते हैं लेकिन आज ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार फैल रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुखिया ठीकेदारी ले लेता है और वह समझता है कि यह हमारी ठीकेदारी हो गयी। और वह मुनाफा कमाना चाहता है। वह मजदूरों का पैसा काट काट कर पैसा बचाता है। इसमें इतनी सच्चाई है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। विकास के जो काम होते हैं उसमें इन्जीनियर और ओभरसियर की जरूरत पड़ती है। अगर उनको घूस नहीं दिया जाता है तो काम नहीं हो पाता है।

उनके काम का मेंजरमेंट नहीं होगा। समय पर नाप नहीं होगा। मुखिया लाचार हो जाते हैं और इन्जीनियर और ओवरसियर को घूस देते हैं। अंचल आफिस में जब तक घूस नहीं देते हैं उनके स्कीम सेंक्शन नहीं होते हैं। जिससे उनके काम में दो-तीन महीने की देरी हो जाती है। उनके स्कीम खटाई में पड़ जाते हैं। जो ठीकेदार घूस दे देते हैं उनका काम तुरत हो जाता है। आज अंचल आफिस में क्या होता है। मुखिया को विकास का काम कराना है लेकिन वह उस काम को कराने के लिये घूस देने के लिये लाचार है। बिना घूस दिये उसका काम आगे नहीं बढ़ पाता है। उसको आपने रूरल डेभलपमेंट का काम, बड़े-बड़े बांध वगैरह को इक्जिक्यूट करने का काम दिया है लेकिन वह उस दलदल में फंसा रहता है। इससे उसको बचाना है। अगर आप उनको नहीं बचाते हैं तो ग्राम पंचायत की मर्यादा नष्ट होती जा रही है। उनको जनहित में काम करना है। उनके अन्दर आपको ऐसी भावना पैदा करनी है जिससे वे दलदल में फंसने से बच सकें।

इसके अलावे हम देखते हैं कि पंचों के लिये हरिजन और आदिवासी भाइयों के लिये रिजर्वेशन की व्यवस्था की गयी है। यह खुशी की बात है लेकिन इसके साथ-साथ महिलाओं के लिये पंचों में रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिये। बड़ों के घरों में पर्दा होने के कारण स्त्रियां बाहर नहीं निकलती हैं लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियां मिल जा सकती हैं जो पढ़ी लिखी तो नहीं हैं लेकिन पंचायत का काम कर सकती हैं। इसलिये उनके लिये रिजर्वेशन रखना जरूरी है। जब आप हरिजनों और आदिवासियों के लिये स्थान सुरक्षित रखते हैं तो महिलाओं के लिये भी स्थान सुरक्षित रखना चाहिये।

हम देखते हैं कि आगे चल कर आपने इस बिल में प्रोविजन किया है कि अगर कोई आदमी किसी मामले में गिरफ्तार होगा तो उसको अधिकार है कि वह अपने केस में वकीलों से पैरवी करा सके और अपने को डिफेण्ड करा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यदि इस तरह का प्रोविजन रहेगा तो गरीबों के लिये न्याय पाना कठिन हो जायगा। क्योंकि आपने पंचायत को ३७९, ३८०, ३८१ दफाओं को भी एक्जिक्यूट करने का अधिकार दिया है और ऐसी हालत में कोई आदमी गिरफ्तार होगा तो वह वकील रख कर पैरवी करायेगा। समें जिसके पास पैसा होगा वह केस जीत जा सकेगा और जिसके पास पैसा नहीं होगा वह केस हार भी सकता है जैसा कि बराबर देखा जाता है।

अध्यक्ष—अगर उनकी मनमानी गिरफ्तारी हो जाय तो वे वकील रखेंगे।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मनमानी गिरफ्तारी हो जाने पर अपने डिफेन्ड करें न कि शहर से वकील को बुला कर डिफेन्ड करायें। वे खुद अच्छे हैं, समझदार हैं उन्हें वकील की जरूरत बिलकुल ही नहीं है। वकील शहर में इसलिये रखे जाते हैं कि वहां सच को झूठ और झूठ को सच बनाना रहता है मगर यहां तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लोग वहां अपनी कला में निपुण नहीं रहते हैं इसलिये उन्हें वकीलों की जरूरत पड़ती है। अगर आप वकील रखने का छूट देंगे तो ग्राम पंचायत से लोगों को, खास कर गरीब लोगों को, न्याय नहीं मिलेगा।

श्री सरयू प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान संविधान के अनुच्छेद २२ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिसमें लिखा है कि :

"No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice."

इसी के मुताबिक यह प्रोवीजन किया गया है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—जब संविधान में लिखा है तो इसे रखा जाय लेकिन हमलोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत में वकील रखने से लोगों को सस्ता न्याय नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष—मौजूदा कानून की धारा ७१ को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। संशोधन केवल उनलोगों के लिये है जो ऐरेस्ट हो जायेंगे।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अगर ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आप वकीलों को लायेंगे तो न्याय का हलाल किया जायगा।

श्री मुहम्मद अकील—क्या आप समझते हैं कि कचहरियों में न्याय नहीं होता है ?

श्री कर्पूरी ठाकुर—जो होता है वह हमलोगों को मालूम है और जो कह रहा हूँ वह सच है।

सेक्शन ७३ में लिखा है कि :

"If there has been a miscarriage of justice or if there is an apprehension of miscarriage of justice in any case or suit, the Subdivisional Magistrate in respect of any case and the Munsif in respect of any suit may, on the application of any party or of his own motion, at any time during the pendency of the suit or case and within 60 days from the date of a decree or order, call for the record from a bench of the Gram Cutcherry and may for reasons to be recorded in writing."

ऑर्डर या डिक्री हो जाने के बाद अगर कोई मैजिस्ट्रेट या मुंसिफ रेकर्ड मंगा ले तो मैं इसे मुनासिब समझता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि जहां कोई अमीर या पैसे वाला आदमी के खिलाफ ग्राम पंचायत में मुकदमा आया तो वह बिना मजिस्ट्रेट या मुंसिफ के यहां अपने केस को पहुँचाये नहीं छोड़ता है। वे वहां पीटीशन देते हैं कि एप्रिहेन्शन ऑफ मिसकरेज ऑफ जस्टिस है इसलिये मेरा केस यहां ले लिया जाय और मैजिस्ट्रेट या मुंसिफ तुरत ही उनके केस को अपने यहां ले लेते हैं। हम देखते हैं कि जहां किसी अमीर के केस में ग्राम पंचायत न्याय करती है तो वे लोग ग्राम पंचायत को तबाह कर देते हैं। इस तरह वे लोग कोई भी मामले को बिना कोर्ट में लाये रुक नहीं सकते हैं। मेरा कहना है कि रेकर्ड कॉल फॉर करने का अधिकार मैजिस्ट्रेट

या मुंसिफ को नहीं दि` जायं। सि ससे गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। सके लिये हम दो सुझाव `` हैं। एक यह है कि अगर किसी आदमी के खिलाफ कोई केस ग्राम पंचायत `आ` ो उसे रेकर्ड कॉल फॉर करने का अधिकार मैजिस्ट्रेट या मुंसिफ को न ीं दिया जाय। सके लिये पहले जांच-प ताल होनी चाहि` कि दरअसल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ोनेवाला है या नहीं यदि साबित हो जाय कि ऐसा होने वाला है तब `क` कॉल ॉर कर` का अधिकार मिले। अगर यह अधिकार आप उसे दे देते ` ो यह ाम पंचायत वालों के हक ` घातक होगा।

दूसरा यह है कि अगर सचमुच न्याय ग्राम पंचायत से नहीं ोनेवाला है तो कचहरियों में भेजने के बदले उसे बगल के ाम ंचायत को जो १ मील या ो ीन मील पर है उस ो यह अधिकार दिया जाय। एक इलाके ` जो घटना घटती है उसे इस इलाके के क ीब-करीब सब लोग जान जाते हैं इसलि` मेरा कहना है कि आप यह अधिकार उस ग्राम पंचायत के बगल के पंचायत को दे दें इससे भी लोगों को उचित न्याय मिलेगा। बगल के लोग या पंचायत झुठ और सच हरेक घटना के बारे में पूरी-पूरी जानते हैं। इसलिये इन लोगों के बदले सबडिवीजनल कोर्ट में मामले को भेजना उचित नहीं होगा। इससे न्याय में बहुत बड़ी बाधा होगी। इससे ग्राम पंचायत के मार्ग में रोड़े अटकेंगे। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, हमारा यह नम्र निवेदन है कि सरकार ऐसा काम न करे जिससे ग्राम पंचायत की तबाही हो या गरीबों को न्याय न मिले। इससे मुझे तो मालूम पड़ता है कि आप ठीक ढंग से ग्राम पंचायत को चलाना नहीं चाहते हैं। बहुत से मामलों में जांच का अधिकार पुलिस को दिया जाता है इससे भी लोगों को उचित न्याय नहीं मिलता है। इसलिये मेरा ख्याल है कि जहां पुलिस को जांच करने का अधिकार दिया जाय उसके साथ-साथ उसी केस में ग्राम पंचायत को भी जांच करने का अधिकार दें और दोनों की रिपोर्ट को देखें कि सही रिपोर्ट कौन है। इससे भी लोगों को ठीक से न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं करने से आज तरह-तरह की गड़बड़ी होती है। अगर पुलिस और ग्राम पंचायत की रिपोर्ट में अन्तर आवे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां जांच कराइये और उसके बाद मामला ले जाइए। इससे यह होगा कि पुलिस के अधिकारियों के द्वारा जो घसखोरी चलती है, लोग मामलों में परेशान किये जाते हैं वह बन्द होगा और उनको न्याय देना आपका काम होना चाहिये भी। इस बिल में आपने इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं रखा है। जितने मामले गांवों में उठते हैं उनके विषय में ग्राम पंचायत के अधिकारियों को भी जांच करने का अधिकार दीजिए पुलिस के साथ-साथ। अगर दोनों की रिपोर्ट में अन्तर नहीं हो तो ठीक है मामला चले। लेकिन अगर अन्तर हो तो किसी जूडिशियल आदमी को इन्क्वायरी के लिये दीजिये और तब जो कारंवाई ो कीजिए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो पुलिसवाले समझेंगे कि जैसा हम चाहते हैं होता है और वह निर्भय होकर जो चाहेंगे करेंगे। लेकिन अगर आप जैसा हम कहते हैं करेंगे तो पुलिस के ऊपर एक अंकुश लगेगा और समाज से भ्रष्टाचार अगर एक दम नहीं उठ जायगा तो कम से कम कुछ अंश में समाज को उससे मुक्ति अवश्य मिलेगी। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत को भी गांव के मामलों में जांच-पड़ताल करने का अधिकार देना चाहिये। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारा काम बहुत कुछ अच्छे ढंग से चलेगा। इसी सम्बन्ध में हम ग्राम सेवक और चीफ अफसर के वेतन के सम्बन्ध में कहना चाहेंगे। ग्राम सेवक का वेतन अभी ४० रुपया है।

अध्यक्ष—इस बिल में तो यह नहीं है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—जी नहीं, इस बिल में नहीं है; लेकिन हम उसका एक पासिंग रेफरेंस देना चाहते हैं। इस ४० रुपया को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहिये। अभी अभी उसको केवल ३९ रुपया ६ आना या १० आना कुल मिलता है। इतना कम वेतन भी आप देते हैं और उस पर बहुत-सा काम भी लादते जा रहे हैं। जब काम का बोझ आप बढ़ाते जा रहे हैं तो वेतन बढ़ाने का फैसला भी आपको करना ही चाहिये। एक इलाके में अभी तीन कार्यकर्त्ता हैं : ग्राम सेवक, कर्मचारी और व्ही० एल० डबलू०। कभी एक जो काम करता है वही दूसरा भी करता है और तीसरा भी। इस तरह एक दूसरे के काम का ओभरलैपिंग होता है। अलावे इसके कभी एक अपने को दूसरे से सुपीरियर समझता है तो कभी दूसरा तीसरे से या पहले से अपने को सुपीरियर समझता है और झगड़ा भी एक दूसरे से हो जाया करता है। इसलिये जल्द से जल्द उनके फंकशन्स का डेफीनीशन हो जाना चाहिये। हम यह सोलहो आने दिल से चाहते हैं कि ग्राम पंचायत का पूर्ण रूप से विकास हो। इसलिये हमने रचनात्मक ढंग से अपना सुझाव दिया है ताकि इस सदन के सदस्य इस पर गौर करेंगे और हमारी और उनकी बातों को मानकर सरकार बहुत कुछ करने को तैयार हो जायगी।

श्री रामानन्द उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, आपका हुक्म हम सभी मानने के लिये तैयार हैं, लेकिन हमको पांच मिनट दे दिया जाय। इस समय तो हमने जो बिल लाया है उसको इस बिल के मुकाबले रखकर बताते कि किस बिल से फायदा होगा और तब सदस्य जान जाते कि यह बिल बोगस है या हमने जो लाया, है वह बोगस है। (हंसी।)

अध्यक्ष—अच्छा, अभी आप बैठ जायं। मंत्री अभी बोलेंगे। उनके बोलने के बाद जो माननीय सदस्य जरूरी समझेंगे अपना विचार करेंगे। उनके भाषण से शंका का बहुत कुछ निराकरण हो जायगा।

*श्री भोला पासवान—अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने श्री रामजनम महतो जी का प्रस्ताव है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। मेरा निवेदन यह है कि यह बिल कोई नया बिल नहीं है और कोई नया उद्देश्य लेकर यह बिल नहीं लाया गया है। पंचायत राज्य ऐक्ट पुराना था और उसी का यह अमेंडिंग बिल है। श्री सरयू प्रसाद सिंह का या श्री लक्ष्मी नारायण सिंह का बिल इस हाउस में जो आया था, उसके और दूसरे बिलों के भी जो रेलिभेंट पोर्शन्स हैं उनका समावेश इस बिल में है और आप जानते हैं कि यह बिल अक्तूबर महीने में पेश किया गया जिसका मतलब है कि आज करीब पांच महीने हो गए इसको आये हुए। कहने का मतलब यह है कि इसकी सारी बातों की आपको जानकारी हो गयी है। श्री हृदय नारायण चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि जिला या प्रान्तीय परिषद् को भी नहीं पूछा गया इसके बारे में। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि सेक्रेटेरियट के कांफ्रेंस रूम में जहां इस सदन के कई सदस्य थे और कैबिनेट के सदस्य थे इसके हर

आइटेम पर काफी बहस हुई और उसके बाद सब देखकर इस बिल को आपके सामने लाया गया है। अभी तक इस बिल पर १९ सदस्य बोल चुके हैं और दो तीन माननीय सदस्यों को छोड़ कर अधिकांश की राय यही जान पड़ती है कि गवर्नमेंट का जो प्रोपोजल है वही ठीक है।

कई विरोधी दल के सदस्य—नहीं, नहीं।

श्री भोला पासवान—यह मेरा कंक्लूजन है। हो सकता है यह बात आपकी राय में सही न हो।

अध्यक्ष—और हो सकता है ऐसा ही हो। (हंसी।)

श्री भोला पासवान—अभी आपके सामने माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने खुद अपने बयान में कहा है कि इसको सेलेक्ट कमिटी को सौंपा जाय जो गवर्नमेंट का भी प्रस्ताव है और श्री हृदय नारायण चौधरी जी का भी यही मत है।

अध्यक्ष—परिस्थिति यह है कि यह सबको मान्य है। केवल थोड़ा थोड़ा संशोधन सेलेक्ट कमिटी में हो जाय जैसा लोग बोल चुके हैं।

श्री भोला पासवान—सेलेक्ट कमिटी में जाय यह तो गवर्नमेंट भी चाहती ही है।

श्री रामजनम महतो जी का जो जनमत जानने के लिये प्रस्ताव है उसी पर सारी बहस हुई है।

अध्यक्ष—आपके स्ताव का भी विरोध किया जा सकता है। आप के प्रस्ताव के भी कुछ लोग विरोधी हैं।

श्री भोला पासवान—स पर १९ माननीय सदस्यों ने अपने भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये हैं। सभी सदस्यों के सभी बातों का जवाब देने की तो कोई जरूरत नहीं मालूम होती है लेकिन जो मुख्य बातें कही गई हैं उनके बारे में सरकार का क्या विचार है उसको मैं कह देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष—मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अभी जो आपका जवाब हो वह ऐसा नहीं हो जिसमें किसी की बात का कोई विरोध हो क्योंकि यह बिल अभी सिलेक्ट कमिटी के सामने जा रहा है और वहां पर हरेक बात पर विचार होनेवाला है।

श्री भोला पासवान—आपने तो मेरे मन की बात कह दी है। मेरा इरादा भी यही करने का था।

सबसे पहले मैं इस बात को लेना चाहता हूँ कि जहां पर यह है कि ंचायत का ठीक ढंग से संग न करने के लिये अगर जरूरत हो तो कहीं से कुछ ोला काट कर घर जोड़ दिया जाय या इधर का कुछ टोला काट कर उधर जोड़ दिया जाय । सरकार ऐसा करने का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहता है और इस मूल सिद्धान्त का करीब-करीब सभी सदस्यों ने स्वागत किया है । सभी सदस्यों ने सको स्वीकार किया है कि कुछ हेरफेर करने की जरूरत होती है और सलिये सरकार को ऐसा करने का अधिकार होना चाहिये । हमारे कर्पूरी ाकुर तो यहां तक कह गये कि अगर जरूरत हो तो समूचा गांव को ही काट कर दूसरे ंचायत में मिला दिया जा सकता है । हेरफेर की जरूरत तो इस बात को भी लेकर होती है कि कहीं पर कोई टोला नदी से कटकर धर से उधर हो जाता है या ंगाजी के दियारा में चला जाता है और फिर निकल आता है । इस समय सरकार की यह नीति है कि ंचायत का हलका ठीक कर दिया जाय और इसके चलते अगर किसी पुराने पंचायत से कुछ टोला को काट कर इधर करना पड़े ो जहां तक हो सके कर लेना चाहिये । स ुक्तेनजर से यह जरूरी है । हमारे चौधरी जी ने ो यह कहा है कि ऐसा जीत के ख्याल से किया जाता है । यह बात जरूर है कि जो भी आद ी चुनाव के लिये खड़ा होता है उसको अपनी जीत की उम्मीद रहती है और यह भावना जरूर समाज में काम करती है । लेकिन सरकार ऐसा पंचायत के हित को ध्यान में रख कर ही करती है । आप लोगों को यह जानना चाहिये कि जहां कहीं भी किसी टोला को काटा या निकाला जाता है तो पहले गजट में इसके लिये नोटिस निकलती है और उस पर ऑबजेक्शन मांगा जाता है । उस ऑबजेक्शन के आ े और सुनने के बाद ही फाइनल फैसला होता है । फाइनल हुक्म होने के वक्त उसके लिये रिजन्स भी रेकर्ड किये जाते हैं । इसके बाद हमारे कर्पुरी ठाकुर े जो यह कहा है कि पूरा गांव को ही काट कर किसी दूसरे पंचायत में मिला देने के लिये भी प्रोविजन रहना चाहिये तो यह बिल अभी सिलेक्ट कमिटी में जा रहा है और वहां पर इस पर विचार करने का मौका मिलेगा और सलिये इस पर विचार करने के लिये उसके सदस्यों को काफी मौका मिल जायेगा और काफी विचार के बाद जो बढ़िया मालूम ोगा उसे उस बिल में समावेश करेंगे । जहां तक ऐसा करने के उसूल का सवाल है, हमारा ख्याल है कि सभी सदस्य स उसूल को कबूल करते हैं ।

इसके बाद हमा े जमुना बाबू के यह कहा है कि मोरल टर्पिचिउड का फैसला प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी पर नहीं छोड़ना चाहिये । हमको सके बारे में जहां तक काननी राय मिली है कि उस े मुताबिक सको यहां पर रखा गया है और अगर जमुना बाबू े विचार से इसमें कोई गलती हो तो वे उसे बतलावें तो उसे सुधारने का ं कोशिश करूँगा । लेकिन सबसे पहले सवाल यह आता है कि किस तरह के मामिले को मोरल टर्पिचिउड माना जायेगा । इसके लिये तो एक सूची बनानी ोगी । बेईमानी और किडनैपिंग आदि केसेज ो ही मोरल टर्पिचिउड में रखा जाय या क्या किया जाय यह सवाल है । लेकिन इसका फैसला करने के लिये हमने तो प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी पर इसीलिये छोड़ दिया है कि आखिरकार प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी भी एस० डी० ओ० के ही रैंक के आदमी होंगे और वे ही जब मुखिया का पर्चा दाखिल किया जायेगा तो दोनों पार्टी की बातों को सुन कर इसका फैसला करेंगे कि कौन तरह का केस मोरल टर्पिचिउड समझा जायेगा और बाद में किसी एक पार्टी के पर्चे को जरूरी समझेंगे तो इस बिना पर रिजेक्ट कर दे सकते हैं । उसके बाद भी उस फैसले पर विचार करने के लिये ट्रिब्युनल रखा गया है जो इस पर विचार करेगा कि कहीं पर ज्यादती या गलती तो नहीं हुई है ।

श्री त्रिवेणी कुमार—ट्रिब्युनल में किस टाइप के आदमी रहेंगे ?

श्री भोला पासवान—यह बिल सिलेक्ट कमिटी में भेजा जा रहा है और वहां पर इस पर विचार करने का काफी मौका मिलेगा ।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—इस बिल में तो डिफाइन्ड रहना चाहिये कि इस तरह के आदमी होंगे ।

श्री भोला पासवान—जरूरी समझा जायेगा तो उसको भी डिफाइन कर दिया जायेगा । लेकिन मोरल टर्पिचिउड का फैसला करने के लिये अभी सरकार का यह प्रस्ताव है कि इसे प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी पर ही छोड़ दिया जाय । फिर भी आपलोगों की जैसी राय होगी वैसा किया जायेगा ।

इसके बाद नोमिनेशन का सवाल यहां पर उठाया गया है । कुछ लोगों ने ऐसा विचार व्यक्त किया है कि इस बहाने सरकार अपने आदमियों को इसमें भेजेगी । व्यक्तरूप से तो ऐसा नहीं कहा गया है लेकिन कहने का भाव यही था । ऐसा क्यों किया गया है इसको मैं बतला देना चाहता हूँ । पंचायत का काम किस तरह से हो इसके लिये एक प्लैनिंग कमीशन की सिफारिश है और उसी से पंचायत का काम होगा ।

कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि मुखिया का नोमिनेशन बाहर से किया जायगा । इसके सम्बन्ध में मैंने यही समझा कि उन्होंने इस बिल के सेक्शन्स को अच्छी तरह नहीं पढ़ा है । नोमिनेशन जो किये जायेंगे उसमें खास बात का ख्याल रखा जायगा कि केवल वैसे एक्सपर्ट आदमी नोमिनेशन से लिये जायं जो किसी विषय के एक्सपर्ट हों, जिनकी जानकारी से ग्राम के उत्थान में यानी उसको आगे बढ़ाने में लाभ हो । ग्राम के डेवलपमेंट के काम के लिये टेकनिकल आदमियों की काफी जरूरत रहती है । जैसे कोई आदमी को-ऑपरेटिव के काम में दक्ष है, या एग्रीकल्चर के काम में दक्ष हैं, या रिटायर्ड इंजीनियर हैं, हमारा कहना है कि जब हम चाहते हैं कि ग्राम को ऑर्गनाइज करें या डेवलप करें तो एक्सपर्ट को लेने के लिये नोमिनेशन का रखना आवश्यक है । इसके अलावे इसका पूरा ख्याल रखा गया है कि वह आदमी उसी पंचायत का रहने वाला हो और तभी उसका नोमिनेशन होगा । हमारे दोस्त श्री रामनरेश सिंह ने कहा था कि दिल्ली से आदमी बुलाकर रखे जायेंगे । यह उनके इनफोर्मेशन के लिये मैं कह देना चाहता हूँ कि दिल्ली में ऐसे आदमियों के लिये बहुत ज्यादा काम है और उनकी सर्विसेज को ग्रामों में युटिलाइज नहीं किया जा सकता है । उनको यह समझना चाहिये कि हम एक डिफरेंट ऐंगल ऑफ विजन से देखते हैं । प्लैनिंग कमीशन की जो विशेषज्ञ रखने की सिफारिश है, गांवों की उन्नति और निर्माण का जो उद्देश्य है उसी की पूर्ति के लिये हमने उन एक्सेप्टों से सेवा लेने के लिये इसको रखा है । इसलिये मौलिक रूप से जो कई सदस्यों ने नोमिनेशन का विरोध किया है वे हमारे विचार को समझ सके होंगे ।

श्री राम नरेश सिंह—नोमिनेशन ही क्यों करते हैं, वे तो को-ऑप्ट भी किये जा सकते हैं ।

श्री भोला पासवान—हम यही कहते हैं कि ग्राम पंचायत के काम को आगे बढ़ाने के लिये उसूलन यह अच्छी चीज है कि विशेषज्ञों को रखना चाहिये ।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—एक्जिक्युटिव कमिटी का भी रहना बहुत जरूरी है ।

अध्यक्ष—जब यह बिल संयुक्त प्रवर समिति में जा रही है तो इन सब बातों पर वादविवाद करने में यहां समय लगाना ठीक नहीं है।

श्री भोला पासवान—उप-मुखिया और उप-सरपंच की बहाली के सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि उप-मुखिया ने जब कलक्टर को पत्र लिखा था तो उसका जवाब नहीं मिला । पहले जब उपर मुखिया या उप-सरपंच की नियुक्ति नहीं हुई थी तब कलक्टर के पास उनलोगों के द्वारा पत्र क्यों कर लिखा गया मैं यह नहीं समझ पाता हूं । अक्सर यह देखा गया है कि मुखिया अपने किसी निजी काम से बाहर चला गया है और उसकी अनुपस्थिति की वजह से डेपलपमेंट के काम में ग्रामों में बाधा पहुंची है । इसी ख्याल से उप-मुखिया की नियुक्ति का प्रबन्ध किया गया है । यह पोस्ट ऑनरेरी हैं इसलिये सरकार वारेंट के द्वारा या किसी ऐसे हुक्म से मुखिया को काम करने पर लाचार नहीं कर सकती है । उसको अनुपस्थिति में काम ठप्प न पड़ जाय इसलिये उप-मुखिया को रखना ठीका समझा गया है । मैं यह भी मानता हूँ कि यह बिल अभी रैडिकल नहीं है और न रिवोल्युशनरी ही है । लेकिन सरकार की बराबर यही कोशिश रहती है कि ग्राम पंचायत में काफी डेवलपमेंट का काम हो । किसी एक मुखिया की एक घटना ऐसी थी कि उसे सन्तान नहीं होता था और उसके लिये उसे अपने देवता को मनाने के लिये देवघर जाने की जरूरत पड़ी। चूंकि उसको १३–१४ दिन से अधिक रहना था, उसने कार्यकारिणी की बैठक के सम्बन्ध में अपने किसी एक आदमी के पास पत्र भेजा कि वह उसके काम को संभाले, परन्तु उसकी चिट्ठी गांव में नहीं मिली जिससे पंचायत का काम रुक गया । इसलिये उसूलन उप-मुखिया और उप-सरपंच को नियुक्ति बहुत आवश्यक है। श्री जमुना प्रसाद सिंह ने अपने क्रिटीसिज्म में कहा है कि सरकार को प्लैनिंग कमीशन की राय के अनुसार पंचायतों को अधिकार देकर काम कराना चाहिये । हर काम में ऊपर से अपना हुकूम सरकार क्यों इम्पोज करती है ?

यह कुछ ऐसा प्रश्न है जिस ओर मेरा ध्यान भी आकर्षित हुआ है । मैं निजी तौर पर भी इस बात का कायल हूं कि ग्राम पंचायत को ज्यादा से ज्यादा पावर मिले । इनीशिएटिव उसकी तरफ से होना चाहिए । जहां तक जमुना बाबू की विचार-धारा है वह उसी लाइन पर है । जमुना बाबू ने कहा कि आप उसको फाइनेंस करें लेकिन मेरा ख्याल है कि चार-पांच वर्ष काम करने के बाद। इसके सिद्धांत का जो सवाल है वह बहुत दूर का सवाल है, अभी उस स्टेज पर ग्राम पंचायत नहीं पहुंच सका है । आप किस तरह चैनेल में ग्राम पंचायत को लिए जा रहे हैं, अभी भविष्य के बारे में क्या कह सकते हैं ? जिस मूर्त्ति की स्थापना करना चाहते हैं उस मूर्त्ति को रूप कब देंगे । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत सी स्कीम हैं जिनको पूरा करने की जवाबदेही ग्राम पंचायत पर ही है । उसमें है कि लोग गांव के प्रोडक्शन को बढ़ावेंगे । इन सब कामों की जवाबदेही ग्राम पंचायत पर ही है । बहुत सी बातें ऐसी कही गई हैं जो

ओरिजनल ऐक्ट में ी हुई हैं। हमने तो यहां एडिशनल चीजों को दिया है जैसे कोटेज इनडस्ट्रीज को डेवलप करना। यह ऐक्ट में दिया हुआ है। जो ऑलरेडी ऐक्ट में दिया हुआ है उसे नए ढंग से लाने की क्या जरूरत है? यदि आप कहें कि पंचायत के जरिए कौन-सा काम ले रहे हैं, आप क्या पावर उसे दिए हुए हैं तो मेरा अपना खयाल है कि जिस रफ्तार से ग्राम पंचायत आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से एक दिन ऐसा आयगा कि उसे पावर देने के लायक समझा जाय और तब प्लानिंग फौम बिलो हो सकता है। मैंने यह नहीं कहा था कि पावर देने जा रहा हूं। मैंने कहा था कि इस तरह का मेरा विचार है कि ग्राम पंचायत इस तरह का हो जायगा कि वह खुद योजना तैयार करेगा, मगर जैसा आप कह रहे हैं उस तरह से करने से उसका इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं इसलिए वैसी बात नहीं चला सकते हैं।

लोकल बडिज के अन्दर डिसेंट्रलाइजेशन का पावर है। आप समझते हैं कि बिहार गवर्नमेंट की, प्लानिंग कमीशन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी चीजें हैं सभी का समावेश इसी में कर दें लेकिन यह संभव नहीं है, इसकी गुंजाइश नहीं है। आप कहेंगे कि गवनमेंट के जितने भी काम, जैसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लौक कहां होते हैं, ये सभी गांवों में होते हैं इस तरह वेटेरिनरी के, इंजीनियरिंग के जितने भी काम हैं सभी को ग्राम पंचायत में ही दे दें, यह असंभव बात है। मैं भी डिसेंट्रलाइजेशन के पक्ष में हूं पर अभी बहुत हद तक इसे रोकना होगा। सब से अच्छा दिन वह होता कि पटने और दिल्ली से न होकर जितने भी काम हैं सभी गांवों में हीं हो जाते लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जहां तक डिसेंट्रलाइजेशन संभव है, किया जा रहा है लेकिन हर डाइरेक्शन में डिसेंट्रलाइजेशन संभव नहीं है, जैसे इकोनॉमि डिसेंट्रलाइजेशन। आप की कल्पना दूसरी हो सकती है जिसको मैं समझने में असमर्थ रहा हूं पर गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपुल्स हैं और गवर्नमेंट की जो कल्पना है उसी को मैं यहां रख रहा हूं। आप समझते हैं कि ग्राम पंचायत जो चल रहा है उसी को सब दे देना चाहिए। इस कल्पना के अनुसार न तो असेम्बली की जरूरत है और न पार्लियामेंट की ही जरूरत है, सभी काम ग्राम पंचायत से ही हो, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जहां तक आज की दुनियां में डिसेंट्रालाइजेशन का सवाल है औन प्रिंसिपुल में आपसे सहमत हूं लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन को रोकना पड़ेगा दोनों साथ साथ चलेगा। कट ऐंड ड्रायड पौलिसी तय करके डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाय यह नहीं हो सकता है। आज बूढ़ी गंडक को जो बांधा गया है उसकी सभी तारीफ करते हैं, श्री कर्पूरी ठाकुर भी इसकी तारीफ करते हैं कि जब कभी ग्राम पंचायत को इस तरह का काम करने का मौका मिलेगा तो काम कर सकता है। आज जो काम एन० ई० एस० और कम्युनिटी प्रोजेक्ट के हो रहे हैं वे स्पेशली ग्राम पंचायत को ही दिए जा रहे हैं। जनता में काम करने की स्पीरिट है। जैसा कि गिरी जी ने कहा है कि पंचायत को ग्रांट दें क्योंकि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लोकल-बडिज के कैटेगरी में है। अभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी को ग्रांट दिया जा रहा है और इससे वे संस्थाएं पनप रही हैं जिसका उदाहरण हमारे सामने है। जहां तक पंचायत का सवाल है गिरी जी उम्मीद करते थे कि ग्राम पंचायत को इम्प्रुव करने के लिए ग्रांट दिया जाय लेकिन मैंने नहीं दिया चूंकि इसमें डिफिकल्टीज हैं। गदाधर बाबू ने कहा कि ग्राम पंचायत बनाने के सिलसिले में बहुत सी कमिटियां बनी थीं उनमें टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन ने भी अपनी सिफारिश दी थी।

बम्बई की बात कही गई। आप जानते हैं कि बम्बई को रेभन्यू से और जमींदारी से कितनी आमदनी है? उसने देखा कि ग्राम पंचायत के जरिए कलेक्शन कराने में

फायदा है, एजेंसी रखेंगे तो कामयाबी नहीं होगी। पंचायत के जरिए वह कलेक्शन कराता है तो २॥ करोड़ मुनाफा होता है। लेकिन आपके यहां क्या है ? आप के यहां तो अभी जमींदारी ही ली गई है और जमींदारों को मुआवजा देना है इसलिए हम उतना परसेंटेज अभी ले नहीं सकते हैं। जमींदारों को कम्पेनसेशन देना खतम हो जायगा और हम आगे डेवलप करेंगे और देने के लायक होंगे तो देंगे ; जहां तक वसूल का सवाल है कोई अन्तर नहीं है।

दूसरी बात यह है कि काम तो हम ले रहे हैं और काम करना चाहे तो उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। सफाई का काम है, डेवलपमेंट का काम है, वगैरह वगैरह। हमारे दोस्त कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि बांध नहीं बनाते हैं। यह काम मुखिया का है और वह एक्जीक्यूटिव हेड है। आप कहते हैं कि बूढ़ी गंडक में बांध बनायी जाय तो मुखिया इस काम को लेना चाहता है तो उसको दे दीजिए। आप जानते हैं कि मुखिया की डायरी होती है, हाजिरी थाने में होती है, वह डेसपरेट भी होता है और बेकसूर लोगों को हरास करता है। इस तरह के आदमी को हम छोड़ देते हैं तो क्या इससे आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी पनपेगी ? ऐसी डेमोक्रेसी आपको मुबारक हो। मैं कुछ चार्जेज आपके सामने रखना चाहता हूं जो कुछ मुखिया पर हैं।

(*i*) Desperate man, (*ii*) implicating in false cases and harassing innocent people, (*iii*) forging cases here and there for extraction of money, (*iv*) dossier maintained in Police Station, (*v*) proceeding under section 107-Cr. P. C. instituted against the Mukhiya but let off with warning.

यह है एक मुखिया के बारे में और इसी तरह दूसरों के बारे में है।

Complicity in an offence in which a man was found hanging by a rope while in the custody of Gram Panchayat. Trial of a case of adultery—vote of no-confidence not possible on account of high-handedness of the Mukhiya.

No Saving Bank Account opened by the Mukhiya in spite of repeated instructions by the District Panchayat Officer. Failure to account for money.

Money drawn by the Mukhiya for digging of wells but not completing the wells.

Mukhiya took contract on behalf of the Panchayat but not accounting the profit gained in the execution of the contract.

Mukhiya is away from the Panchayat as he took employment elsewhere. He is not submitting resignation.

तो इस तरह के केसेज हैं और माननीय सदस्य हटाने का विरोध करते हैं। लेकिन किसी ने यह सजेस्ट नहीं किया कि अगर मुखिया ऐसा करे तो उसके लिए क्या किया जाय। डेमोक्रेसी की बात कही गई है लेकिन बिना रीमूवल के काम कैसे चलेगा यह नहीं बतलाया गया। जितने माननीय सदस्य हैं सबों ने मुखिया के रिमूवल का विरोध किया है और कहा है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। हमारे दोस्त कर्पूरी ठाकुर ने कहा है कि जनता द्वारा चुने हुए मुखिया को कैसे हटाया जा सकता है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—हमने कहा है कि ग्राम पंचायत खुद मीटिंग करके मेजोरिटी ऑफ बोट से हटा सकती है।

श्री भोला पासवान—५ वर्ष में कोई मुखिया नहीं हटता है तो क्या आप चाहते हैं कि उसको छोड़ दिया जाय कि जो चाहे करे।

श्री कर्पूरी ठाकुर—असेंबली के मेंबर भी जुल्मी हो जायं तो उन्हें आप कैसे हटायेंगे, इसका कोई उपाय है या नहीं ?

श्री भोला पासवान—ऐसा मौका ही नहीं आया है। असेंबली के मेंबरों को मुखिया की तरह अधिकार नहीं है। अगर ऐसी बात होगी तो गवर्नमेंट सोचेगी और माननीय अध्यक्ष हैं वे देखेंगे। जो चार्जेज मुखिया के साथ हैं हमने बतलाया। अब अगर ऐसे मुखिया को नहीं हटाते हैं तो आप ही असेंबली में सवाल पूछेंगे कि ऐसा आदमी को क्यों नहीं हटाया जाता है ? आप पावर चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं कि पावर फ्रॉम बिलों चले लेकिन क्या आप अभी इसके लायक हैं ? तरह-तरह की बातें कही गई तो यह तो अपने अपने राय और विचार की बात है। यह बिल हमने इसलिए आपके सामने पेश किया है कि जो भी खट्टा-मीठा अनुभव इस सिलसिले में आपलोगों को हुआ है वह हमें मालूम हो जाय। यह भी कहा गया है कि पंचायत ऑफिसर के यहां सिफारिश की जायगी तो हटा देंगे लेकिन ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट हटायेगी लेकिन मुखिया को एक्सप्लानेशन का काफी मौका देने के बाद।

अध्यक्ष—आपने तो प्रोविजन दिया है कि मेंबर लोग ग्राम पंचायत की मीटिंग करके उसको हटा सकते हैं। इसके बाद किसको नहीं हटायें या किसको हटाने में असमर्थ हैं ऐसा भी लिख दिया जाय।

श्री भोला पासवान—गवर्नमेंट को जो अनुभव है वह हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं कि लोकल बडीज के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बारे में आकर कहते हैं कि उन्हें हटा दीजिए और सुपरसीड कर दीजिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है डेमोक्रेसी की दोहाई श्री कर्पूरी ठाकुर ने दी लेकिन आप देखें कि जहां पर चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन चुनाव के जरिए आये हैं उन्हीं के मुतल्लिक कहा जाता है कि हटा दीजिए। यह जरा सोचने की बात है।

हमारा कहना है कि आप जो कुछ कहें उसमें सामंजस्य होना चाहिये न कि एक साइड देखकर खींचते चले जा रहे हैं। इसलिये जहां आप इस ख्याल के हैं कि पंचायत को ज्यादा से ज्यादा अधिकार होना चाहिए वहां कुछ नियंत्रण भी रखना पड़ेगा। यदि नियंत्रण छोड़ दिया जायगा तो एक दिन आप ही को यह लाना पड़ेगा कि रिमुवल ऑफ पावर होना चाहिये। श्री रामनारायण चौधरी ने कहा कि जब मुखिया का सुपरसेशन होता है तो उसके साथ साथ उसकी कमिटी भी खतम हो जाती है लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें शब्द मिलेगा। गांव में ५० तरह के काम होते हैं और जब सरकार जरूरत समझेगी तभी कुछ दखल देगी।

श्री प्रभुनाथ सिंह—वहां यह साफ क्यों नहीं लिख दिया जाता है कि किस हालत में सरकार दखल देगी ।

श्री भोला पासवान—यह तो सेलेक्ट कमिटी में जायगा और वहां आप इस पर अच्छी तरह से विचार करेंगे । श्री जमुना बाबू ने कहा कि ग्राम सेवक को बहुत अधिक डियुटी दिये जा रहे हैं । हम यह चाहते हैं कि गांव वालों को जो सेवा मिलनी चाहिये उससे वे वंचित न रहें । गांव में बिजली, सिंचाई तथा वाटर-वर्कस आदि के काम होते हैं । आप जानते हैं कि बिजली से वाटरवर्क्स का काम चलता है और हमारे पास रिपोर्ट आयी है कि एक जगह लोकल बोर्ड बिजली कंपनी को काफी दिनों से पैसा नहीं दे रही है और बिजली कम्पनी ने यह कहा है अब हम बिजली नहीं देंगे । लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी हालत में जनता को जो सेवा मिलती है वह बन्द न हो ।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—हमारी एक नियमापत्ति है । वे इस प्रकार के आरगुमेंट को ऐन्टीसिपेट कर रहे हैं इसलिये बिल के प्रोविजन के बारे में माननीय मंत्री ऐसा नहीं कह सकते हैं ।

अध्यक्ष—वे तो एक उदाहरण दे रहे हैं ।

श्री जमुना प्रसाद सिंह—यदि उन्हें यह सुविधा दी जायगी तो हमलोगों को भी इस प्रकार की बातों को कहने का मौका मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष—यह तो कंटेक्सट पर निर्भर करेगा । मैं आपकी नियमापत्ति को नहीं मानता हूं ।

श्री भोला पासवान—श्री यमुना बाबू ने कहा है कि मुखिया को पटवारी या चौकीदार के ऊपर रिपोर्ट करने का पावर था जब वे काम ठीक से नहीं करेंगे लेकिन इस पावर को डिलिट किया जा रहा है । लेकिन यह उतना महत्व नहीं रखता है । सेलेक्ट कमिटी में इस पर हमलोग विचार करेंगे । यदि मेंबरों की राय रहेगी तो इस पर हमलोग विचार करेंगे ।

यह भी कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में वकीलों को न जाने दिया जाय । हम तो वकील नहीं हैं लेकिन हमको राय मिली है कि यह रहना चाहिये । कचहरी, सरकार तथा पुलिस केवल तीन जरिये से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है । संविधान में यह धारा है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे वकील से राय लेने का हक है ।

अध्यक्ष—अगर आप यह प्रोविजन नहीं रखते तब भी संविधान के मुताबिक यह अधिकार रहता ही है । अभी पंचायत राज ऐक्ट जो है उसमें भी यह है ।

श्री भोला पासवान—ग्राम पंचायत में कचहरी आने लगेगी ऐसी बात नहीं है ।

अध्यक्ष—आप संक्षेप करें ।

श्री भोला पासवान—इस बिल के जितने सैलिएन्ट फिचर थे सब पर हमने प्रकाश डाला है ।

हमलोग सभी चीजों को सेलेक्ट कमिटी में तय कर सकते हैं । दरवाजा हमेशे खुला हुआ है । सरकार ने इसलिये इसे ज्वाएन्ट सेलेक्ट कमिटी में भेजने का प्रस्ताव पेश किया है कि सभी लोगों को अपना विचार प्रगट करने का मौका मिले और एक अच्छी राय कायम हो सके । हमारे बुजुर्ग साथी श्री हृदय नारायण चौधरी ने कहा कि दलबंदी पंचायत में नहीं रहे लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि दलबन्दी जब तक हमारे यहां रहेगी तब तक पंचायत में भी अवश्य रहेगी, इसे आप नहीं हटा सकते हैं । अगर आप चाहते हैं कि दलबन्दी ग्राम पंचायत में नहीं रहे तो पहले आपको, हमको अपना हृदय साफ करना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, यही मोटा मोटी बातें हैं जो हमें कहनी थी । हमने इसकी पूरी कोशिश की कि माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों पर अपना विचार प्रगट किया है उन सभी बातों का उत्तर दे सकूं। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं बैठ जाता हूं ।

श्री सरजू प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, इस सदन के जितने माननीय सदस्यों ने इस बिल पर अपना विचार प्रगट किया है उन्हें मैं मुख्यत: तीन हिस्सों में बांटना चाहता हूं। ज्यादा लोगों ने इस बिल का समर्थन किया है और जो सुझाव उन्होंने पेश किये हैं, चाहे वे सदन के इस हिस्से के हों या उस हिस्से के हों, सब ने रचनात्मक ढंग से अपने सुझाव रखे हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजने का प्रस्ताव पेश किया है। दो माननीय सदस्यों ने, अर्थात श्री यूनस सुरीन और श्री इगनेश कुजूर ने इस बिल का विरोध किया है । उन्होंने कहा कि पंचायत राज एेक्ट को चालू करने से यह अनुभव हुआ कि बिहार के दूसरे हिस्से के लोग इसको पसन्द करते हैं लेकिन छोटानागपुर के लोग यह चाहते हैं कि वहां यह लागू न हो । इसलिये वे चाहते हैं कि इस बिल को प्रवर समिति में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है । उन्होंने पेरेंट बिल के संबंध में कुछ नहीं कहा कि यह लागू रहे या नहीं, वे इस अमेंडिंग बिल का विरोध करते हैं । मेरी समझ में यह बात नहीं आई ।

श्री इगनेश कुजूर—अमेंडिंग बिल के साथ साथ हमने औरिजिनल बिल का भी विरोध किया है ।

श्री सरजू प्रसाद—आई स्टैंड करेक्टेड अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस बिल का विरोध सिर्फ दो माननीय सदस्यों ने किया है । वे अगर पेरेंट ऐक्ट का भी विरोध करते हैं तो उनको कम से कम सुझाव के तौर पर इस बिल में कोई संशोधन पेश करना चाहिये था कि पेरेंट ऐक्ट रद्द कर दिया जाय । लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया है । वे इस बिल से बहुत बिगड़े हुए हैं यदि उनकी राय के मुताबिक यह बिल पास न हो तो पंचायत की व्यवस्था तो पेरेंट ऐक्ट के अनुसार ही होती रहेगी जिसे माननीय सदस्य एकदम पसंद नहीं करते । तो इस प्रकार इस बिल के विरोध का क्या मतलब होता है यह समझ में नहीं आता । जिन माननीय

सदस्यों ने जनमत जानने के लिये प्रस्ताव दिया था उनका ख्याल है कि चूंकि लोगों से राय नहीं ली गई इसलिये इसे जनमत जानने के लिये भेजना चाहिये। इस संबंध में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने यह बतला दिया है कि यह बिल किसी न किसी रूप में अरसे से चला आ रहा है। यह बिल जनता के सामने अक्तूबर महीने से ही है और मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बतला देना चाहता हूं कि इस बिल के संबंध में भी पंचायत परिषद् में अच्छी तरह से विचार हुआ है और और विचार फिर भी होने वाला है। हर सबडिवीजन में पंचायत की ओर से सेमिनार होता है। उसमें भी बिल के संबंध में वाद-विवाद होता है; लोग इसपर विचार प्रगट करते हैं।

हमारे माननीय मंत्री ने आपको बतलाया कि सरकार की ओर से एक बैठक बुलायी गयी थी जिसमें पंचायत परिषद् के लोग थे और जो पंचायत के कामों में दिलचस्पी रखते हैं वे लोग थे। उसमें काफी विचार-विमर्श हुआ। इसलिए इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट कमिटी में यह बिल जाय और वहीं इसपर विचार होगा। माननीय मंत्री ने जो बातें कही हैं उससे मैं सहमत हूं। इस प्रांत की जो पंचायतों की मुख्य संस्था पंचायत परिषद् है उसने जो राय दी थी उसको मैं आपके सामने व्यक्त कर देता हूं। जहांतक मुखिया लोगों के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई करने की व्यवस्था की गयी है उसके बारे में जो परिषद् ने सुझाव दिया है उसको मैं स्पष्ट कर देता हूं। परिषद् का कहना है कि जहां मुखिया दुश्चरित्र हो और किसी तरह का अन्याय करता हो तो वहां ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए कि ग्राम पंचायत के जो बालिग सदस्य हैं वे मुखिया पर अविश्वास का प्रस्ताव ला सकें। इसके लिए अभी नियम है कि आधे बालिग सदस्यों के दस्तखत से दरखास्त दी जा सकती है। उसमें स्त्री-पुरुष दोनों शामिल हैं। अभी जो गांवों की हालत है उसमें स्त्रियों से हस्ताक्षर करा लेना और सब मिलाकर आधे सदस्यों का हस्ताक्षर उपस्थित करना कठिन है। इसलिए हमारा एक सुझाव है कि अविश्वास के प्रस्ताव लाने का जो नियम है उसको सहल कर दिया जाय।

पंचायत को डिजॉल्व करने की भी बात इस बिल की एक धारा में है। अध्यक्ष महोदय, जो सभा परिषद् के प्रतिनिधियों एवं अन्य सज्जनों की मुख्य मंत्री के समक्ष विधान में संशोधन के संबंध में हुई थी और उसमें सरकार की ओर से विचारार्थ जो सुझाव उपस्थित हुआ था उसमें डिसोल्यूशन की बात नहीं थी। वहां तो सरकारी अधिकारी द्वारा मुखिया के हटाने की बात थी। डिसोल्यूशन का सुझाव उसके बदले में हमलोगोंने पेश किया था। इस बिल में हमलोगों के उस सुझाव का समावेश है मगर साथ ही जिसके बदले में वह रखा गया उसे भी बिल में रख लिया गया। माननीय मंत्री जी ने, जो आश्वासन दिया है उससे हमें विश्वास है कि सिलेक्ट कमिटी में जाकर यह बिल तदनुसार दुरुस्त हो जायगा। इक्जेक्यूटिव के संबंध में कहा गया है . . . . . .

अध्यक्ष—इसके संबंध में पंचायत परिषद् की क्या राय है?

श्री सरजू प्रसाद—मैं केवल अपनी ही राय नहीं कह रहा हूं। परिषद् की भी यही राय है जो बता रहा हूं। अभी जो व्यवस्था ऐक्ट में है उसके अनुसार मुखिया जब चुन लिया जाता है तब वह अपनी एक्जेक्यूटिव कमिटी का चुनाव करके पंचायत

अफसर के पास भेज देता है। पंचायत अफसर देखता है कि कमिटी में सभी तबके के लोग हैं या नहीं, और उसमें सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन हुआ है या नहीं और तब उसको मंजूरी देता है। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री कर्पूरी ठाकुर ने कहा है कि एक्जेक्यूटिव कमिटी में महिला सदस्य को भी रहना चाहिए। यह बहुत ठीक है। मुझे खुशी है कि मौजूदा कानून के अनुसार ही माननीय सदस्य के सबडिवीजन के कई पंचायतों में महिला सदस्यायें कार्य्यकारिणी समिति में हैं। यदि प्लैनिंग कमीशन की सिफारिश के अनुसार कार्यकारिणी समिति में गांव के किसी विशेषज्ञ को सरकार रखना चाहती है तो मौजूदा कानून के आश्रय को लेकर भी वह संभव हो सकता है। कुछ हेरफेर की जरूरत हो तो इसपर भी विचार होना चाहिए।

जुडीसीयरी के बारे में एक बात मुझे कहनी है। पंचायत को १५० रुपये के सिविल सूट लेने का अधिकार था उसको आप २०० रुपया कर रहे हैं। फिर वहीं पर आप पंचायत को जो १ महीना सजा देने का अधिकार था उसे इस बिल के द्वारा लेने भी जा रहे हैं, मेरा कहना है कि यह उचित नहीं होगा। पंचायतें महसूस करती हैं कि इससे उनकी इज्जत पर धक्का लगेगा। इसलिये अभी जो व्यवस्था सजा देने का है उसे रहने दिया जाय। इसमें कोई हेरफेर करना वाजिब नहीं होगा। इनहीं शब्दों के साथ जनमत का आदर कर माननीय मंत्री ने जो मौजूदा पंचायत कानून में सुधार के हेतु यह बिल उपस्थित किया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

Shri KRISHNA GOPAL DAS: Mr. Speaker, Sir, I would like to say only a few points that have not yet been discussed in this House.

Under section 11 of the Act there is a term for the Mukhiya and the Executive Committee and it is three years. But very cleverly it is now proposed to be amended as follows :—

> "the term of office of a member shall be three years from the date of election in the case of the mukhiya and the date of appointment in the case of any other member and shall include any further period which may elapse between the expiration of the said three years and the date of election of the next mukhiya."

The implications of such an amendment is clear because we have the experience that Government have been postponing the elections of the District Boards. This should be looked into at the Select Committee stage.

Regarding the Sarpanch the provision proposed is that he will continue to be Sarpanch until another person is elected. If you refer to Central or State Acts you will find, Sir, that everywhere the term of an occupant of a particular office is 5 years, and even in the present Act the term is for 3 years. I am opposed to the proposed provision for extending the term of the Sarpanch, and the Select Committee should also look to this point.

Then about the alteration of the local limits of a panchayat. I think there should be a boundary commission for the purpose. This is the practice in England and even in our country we know that the President appoints a delimitation commission in respect of the constituencies of the State Assemblies and Parliament. Similar provision should exist about the panchayat.

श्री राम जनम महतो—अध्यक्ष महोदय, सरयू बाबू ने ठीक ही कहा है कि हमारा

मुख्य उद्देश्य था जनमत जानने के लिए भेजने के लिए जिसमें लोगों को राय देने का मौका मिले। उद्देश्य और हेतु देखने से केवल औफिसरों के अनुभव की बात मालूम होती है। औफिसर कितने तरह से मुखिया को तंग करेंगे उनको अपने काबू में करने के लिए। इसमें केवल एक ही बात ग्राम पंचायत के हक की है। वह है ग्राम कचहरियों की शक्तियों को बढ़ाये जाने की। हम समझते हैं पंचायत परिषद् का भी उनसे सरोकार है। इसलिए उनकी राय भी ली जानी चाहिए। पशुपति बाबू ने मेरे प्रस्ताव का विरोध किया है। विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि मुखिया की शैक्षिक योग्यता अवश्य निर्धारित कर दी जाय इसके हम खिलाफ हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि उनके लिए शिक्षा की योग्यता अवश्य निर्धारित होनी चाहिए। शिक्षा की योग्यता निर्धारित रहने से मुखिया को हटाने में औफिसरों को सहूलियत नहीं होगी। शैक्षिक योग्यता या अन्य प्रकार के अनुभव की बातें रहने पर वे औफिसर यह कहकर नहीं हटा सकते हैं कि ये अयोग्य हैं। ऐसे तो योग्यता के रहते हुए भी अगर वे चाहेंगे तो उन्हें हटा सकते हैं। हमें खुशी है कि उनकी राय में भी परिवर्त्तन हुआ है; पहले वे ग्राम पंचायत के खिलाफ मालूम होते थे। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रस्ताव का श्री राम सुन्दर तिवारी ने भी विरोध किया था। १८० दिन वाली जो बात इस बिल में है वह कार्यपालिका के सदस्यों तथा पंचों के लिए उठा देनी चाहिए। सरजू बाबू पंचायत परिषद् से संबंध रखनेवाले हैं। वे जब कहते हैं कि सरकार पंचायत परिषद् से राय लेती है तो हमको अब कुछ कहना नहीं है।

अध्यक्ष—प्रस्ताव के बारे में आपकी क्या राय है?

श्री राम जनम महतो—सभा की राय हो तो मैं उठा लेना चाहता हूं।

सभा की राय से प्रस्ताव उठ गया।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

बिहार पंचायत राज, (अमेंडमेंट) बिल, १९५५, को एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोला पासवान—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

बिहार पंचायत राज (अमेंडमेंट) बिल, १९५५, को बिहार विधान-सभा और विधान परिषद् के जिस संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया है उसके ४० सदस्य हों एवं

विधान सभा नियमावली के नियम १५४ के उप-नियम (३) के अनुसार उसमें विधान सभा के ३० सदस्य मनोनीत हों और परिषद् से अनुरोध किया जाय कि इस प्रस्ताव पर परिषद् अपनी सहमति देकर उपरोक्त उप-नियम में यथा निर्दिष्ट अनुपात में परिषद् के सदस्य मनोनीत करे। इस समिति को यह भी निर्देश दिया जाय कि वह तिथि ३० सितम्बर, १९५६ तक अपना प्रतिवेदन दे।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं इसमें एक संशोधन यह देता हूं कि ४० के बदले २१ सदस्य लिए जायं क्योंकि ज्यादा आदमी रहने से खर्च बढ़ जाता है।

अध्यक्ष—नियम में है:

"A Select Committee to which a Bill is referred shall ordinarily consist of not more than 21 members."

इसलिए कोई ऐसी कैद नहीं है कि इतने ही मेम्बर हों। यह सभा की राय पर है। नियम १५४ (३) में यह है कि तीन सदस्य यहां के होंगे तो एक सदस्य कौंसिल के रहेंगे। इसलिए कम-से-कम २१ नहीं बल्कि २४ मेम्बर रहना चाहिए।

श्री रामानन्द तिवारी—तो मैं संशोधन देता हूं कि २१ नहीं २४ सदस्य रहें।

श्री प्रभुनाथ सिंह—अब कल इस पर विचार किया जाय। ४ बज कर कई मिनट हो गए।

अध्यक्ष—अच्छा, कल अब बैठा जायगा।

सभा बुधवार, तिथि ११ अप्रील, १९५६ के ११ बजे दिन तक स्थगित हुई।

पटना :　　　　एनायतुर रहमान,
तिथि १० अप्रील, १९५६।　　　　सचिव, बिहार विधान सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०) १४६—मोनो—८७१+२५—२२-११-१९५६—अ०कुमार तथा अन्य।